

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

INDEX

IN

ADDITIONAL RESPONSE AFFIDAVIT

(on Behalf of Respondent No.2)

IN

Original Application No. 1319 of 2024



Hemant Singh Gonja and others.

.....Petitioners

VERSUS

State of Uttarakhand through Secretary, Environment, Government
of Uttarakhand and others.

.....Respondents.

Sl. No.	Particulars	Page No.
1	Index	1-3
2	Additional Response Affidavit	4-27
3	<u>Annexure No. A-1 (Colly.)</u> A photocopy of letter dated 24-07-2018 and 19-09-2018.	28-31
4	<u>Annexure No. A-2</u> A photocopy of the Letter of Award dated 16-12-2017.	32

5	<u>Annexure No. A-3 (Colly.)</u> The photocopy of the letter dated 30-04-2025 alongwith list of rag-pickers.	33-36
6	<u>Annexure No. A-4</u> The photocopy of the Municipal Corporation Haldwani Kathgodam Solid Waste Management Bye-Laws, 2019.	37-54
7	<u>Annexure No. A-5</u> The photocopy of the letter dated 11-10-2022 for constitution of Baini Sena.	55
8	<u>Annexure No. A-6</u> A photocopy of the letter dated 05-05-2025.	56
9	<u>Annexure No. A-7</u> The photographs showing collection of tree leaves being done by health worker.	57
10	<u>Annexure No. A-8</u> The photographs depicting the training being given to waste-pickers and waste collector.	58
11	<u>Annexure No. A-9</u> The photographs showing Nadep Pits.	59
12	<u>Annexure No. A-10</u> The photographs showing cleaning of roads/street.	60
13	<u>Annexure No. A-11</u> The photographs showing collection and transportation of waste through transport vehicle.	61
14	<u>Annexure No. A-12</u> The photographs showing collection of parks/garden waste.	62



15	<u>Annexure No. A-13</u> A photocopy of the M.O.U.	63-67
16	<u>Annexure No. A-14</u> A photocopy of the work order dated 27-01-2025.	68
17	<u>Annexure No. A-15</u> A photocopy of the annual report of last year.	69-79
18	<u>Annexure No. A-16</u> A photocopy of the letter dated 06-06-2025.	80
19	<u>Annexure No. A-17</u> A photocopy of the challan.	81-82
20	<u>Annexure No. A-18</u> The photographs showing awareness programs being undertaken.	83-84
21	<u>Annexure No. A-19</u> The photographs showing treatment of legacy waste.	85-87



Date: ^{27th} June, 2025

Shobhit
Shobhit Joshi
Advocate
Counsel for Respondent No.2

Email- shobhitjoshi98@gmail.com
Mobile No. – 7906689557
Address- Chamber No. 15,
Advocate Chamber Building,
Uttarakhand High Court,
Nainital.

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ADDITIONAL RESPONSE AFFIDAVIT

(on Behalf of Respondent No.2)

IN

Original Application No. 1319 of 2024

Hemant Singh Gonja and others.

.....Petitioners

VERSUS

1. State of Uttarakhand through Secretary, Environment, Government of Uttarakhand.
2. Municipal Corporation, Haldwani through Municipal Commissioner.
3. District Magistrate, Nainital.
4. Uttarakhand Pollution Control Board through Member Secretary.
5. Central Pollution Control Board through Member Secretary.

.....Respondents

AFFIDAVIT

Affidavit of Smt. Richa Singh, Aged about 45 years, W/o Shri Bhuwan Mohan Dwivedi, presently posted as Municipal Commissioner, Nagar Nigam



Richa
RICHHA SINGH

Haldwani- Kathgodam, Haldwani,
District Nainital.

.....(Deponent)

I, the above named deponent do hereby solemnly affirm and state on as under:-

- 1) That the deponent is presently posted as Municipal Commissioner, Nagar Nigam Haldwani- Kathgodam, Haldwani, District Nainitaland she is authorized to swear and sign this affidavit as she is fully conversant with the facts of the case deposed herein below.
- 2) That the above noted case was listed on 22-04-2025 before the Hon'ble court and on that date the Hon'ble court vide its order was pleased to direct the answering respondent to file an additional response affidavit mentioning all the details with respect to compliance with Rule 15 of the Solid Waste Management Rules, 2016 done by the answering respondent.
- 3) That in compliance to the order dated 22-04-2025 passed by this hon'ble court, the answering respondent is filing the present response affidavit. For proper assistance to this hon'ble court, the answering respondent is quoting the relevant portion of the Rule 15 and then its response.
- 4) That the Rule 15 of the Solid Waste Management Rules, 2016 reads as hereunder:-

15. Duties and responsibilities of local authorities and village Panchayats of census towns and urban agglomerations.- The local authorities and Panchayats shall-

RECHA SINGH



(a) *prepare a solid waste management plan as per state policy and strategy on solid waste management within six months from the date of notification of state policy and strategy and submit a copy to respective departments of State Government or Union territory Administration or agency authorized by the State Government or Union territory Administration;*

- ✓ To comply with this sub-clause of Rule 15 of the Solid Waste Management Rules 2016, DPR for solid waste management has been prepared by seven bodies Municipal Corporation Haldwani-Kathgodam, Municipal Corporation Rudrapur, Municipal Council Nainital, Municipal Council Kiccha, Municipal Council Bhowali, Municipal Council Bhimtal and Nagar Panchayat Lalkuan was sent through letter and thereafter the Revised DPR for solid waste management of seven bodies Municipal Corporation Haldwani- Kathgodam, Municipal Corporation Rudrapur, Municipal Council Nainital, Municipal Council Kichha, Municipal Council Bhowali, Nagar Panchayat, Lalkuan and Nagar Panchayat Bhimtal was prepared and sent for approval vide letter no. 916 dated 24-07-2018 for approval which has been approved by the Urban Development Department vide its letter no. 2661/IV (3)-2018-12(22 SWM)/18 dated 19-09-2018. A photocopy of the letter dated 24-07-2018 and 19-09-2018 are being annexed as **Annexure No. A-1 (Colly.)** to this affidavit.

(b) *arrange for door to door collection of segregated solid waste from all households including slums and informal settlements, commercial, institutional and other non residential premises. From*



51
RICHMA SINGH

multi-storage buildings, large commercial complexes, malls, housing complexes, etc., this may be collected from the entry gate or any other designated location;

- ✓ To comply with this sub-clause of Rule 15 of the Solid Waste Management Rules 2016, arrangements have been made for door to door collection from all the houses including slums and informal settlements, commercial institutional and other non-residential premises of the city. Collection of waste from multi-storey buildings, large commercial complexes, malls, residential complexes etc. is being done from the entry gate. The Municipal Corporation Haldwani-Kathgodam has entered into contract with the M/s A2Z Waste Management Ludhiana Ltd. for the purpose of Door to Door Collection of Solid Waste and as such Letter of Award dated 16-12-2017 has been issued in favour of M/s A2Z Waste Management Ludhiana Ltd..A photocopy of the Letter of Award dated 16-12-2017 is being annexed as **Annexure No. A-2** to this affidavit.



(c) establish a system to recognize organisations of waste pickers or informal waste collectors and promote and establish a system for integration of these authorised waste-pickers and waste collectors to facilitate their participation in solid waste management including door to door collection of waste;

- ✓ To comply with this sub-clause of Rule 15 of the Solid Waste Management Rules, 2016, to establish a system of giving recognition to the associations of waste pickers/informal waste collectors and to create a system of integration of these


 RICHA SINUTH

authorized rag pickers and waste collectors to facilitate their participation in solid waste management including door-to-door waste collection, 105 Rag Pickers has been identified in municipal limit of the Municipal Corporation Haldwani-Kathgodam and till date 11 self-help groups of these Rag-pickers have been formed. These rag-pickers have been provided with the Gum boots, masks, gloves and jackets by the Municipal Corporation Haldwani- Kathgodam. Apart from this, profiling of rag pickers is also being done through the portal, so that the benefits of the beneficial scheme given by the Government of India can be provided. A photocopy of the letter dated 30-04-2025 alongwith list of rag-pickers are collectively being annexed as **Annexure No. A-3 (Colly.)** to this affidavit.

(d) facilitate formation of Self Help Groups, provide identity cards and thereafter encourage integration in solid waste management including door to door collection of waste;

- ✓ To comply with this sub-clause of Rule 15 of the Solid Waste Management Rules 2016, to facilitate the formation of self-help groups, to provide identity cards and subsequently to promote integration in solid waste management including door-to-door waste collection, 57 self-help groups have been formed by the women of the city which have been named as "**Baini Sena**". The Baini Sena is entrusted with the task of collection of user charge, ensuring Door to Door waste collection is done properly by the contracted agency and further to create awareness amongst the citizens about solid waste management by reaching out to citizens door-to-door in



12/
RISHA SINHA

the city. It is stated here that the concept of the 'Baini Sena' was highly appreciated by the hon'ble Uttarakhand High Court as well as by the Central government agency while entertaining a PIL.

(e) *frame bye-laws incorporating the provisions of these rules within one year from the date of notification of these rules and ensure timely implementation;*

- ✓ To comply with this point of the Solid Waste Management Rules 2016, Solid Waste Management Bye-Laws have been made by the Municipal Corporation Haldwani Kathgodam. These bye laws are have been published in the official gazette published on 15th August 2020 and are called the "Municipal Corporation Haldwani Kathgodam Solid Waste Management Bye-Laws, 2019" and these bye-laws have been implemented. A photocopy of the Municipal Corporation Haldwani Kathgodam Solid Waste Management Bye-Laws, 2019 is being annexed as Annexure No. A-4 to this affidavit.

(f) *prescribe from time to time user fee as deemed appropriate and collect the fee from the waste generators on its own or through authorised agency;*

- ✓ To comply with this point of Solid Waste Management Rules 2016, provisions related to determination/collection of user fees have been made in the Solid Waste Management Bye-laws made by Municipal Corporation Haldwani Kathgodam, in order to which currently user fees are being collected from the city by 57 self-help groups formed by the women of the city, which have been named '**Baini Sena**'. The photocopy of



12/

RICHA SINUJH

the letter dated 11-10-2022 for constitution of Bains Senais being annexed as Annexure No. A-5 to this affidavit.

(g) *direct waste generators not to litter i.e. throw or dispose of any waste such as paper, water bottles, liquor bottles, soft drink cans, tetra packs, fruit peel, wrappers, etc., or burn or burry waste on streets, open public spaces, drains, waste bodies and to segregate the waste at source as prescribed under these rules and hand over the segregated waste to authorised the waste pickers or waste collectors authorised by the local body;*

✓ In order to comply with this sub-clause of Rule 15 of the Solid Waste Management Rules 2016, the waste producers are being directed through the loudspeakers of Municipal Corporation's garbage collection vehicles not to spread garbage or burn paper, water bottles, beverage cans, tetra packs, fruit peels, wrappers etc. on the roads, or in open public places, or in drains, or in waste bodies or to throw them in ponds. It is announced to segregated these waste at source and then to hand over these segregated waste to the rag-picker/waste pickers identified by the Municipal Corporation as prescribed under the rules. It is stated here that monitor the compliance of this sub-clause, the Municipal Corporation Haldwani - Kathgodam checks and monitors it from time to time at its own level.



(h) *setup material recovery facilities or secondary storage facilities with sufficient space for sorting of recyclable materials to enable informal or authorised waste pickers and waste collectors to separate recyclables from the waste and provide easy access to*

12/
RICHHA SINHA

waste pickers and recyclers for collection of segregated recyclable waste such as paper, plastic, metal, glass, textile from the source of generation or from material recovery facilities; Bins for storage of bio-degradable wastes shall be painted green, those for storage of recyclable wastes shall be printed white and those for storage of other wastes shall be printed black;

- ✓ In order to comply with this point of the Solid Waste Management Rules 2016, the Municipal Corporation has established MRF(Metal Recovery Facility) Center to establish material recovery facilities or good storage facilities with adequate space for sorting the recyclable materials so that the informal or identified waste pickers and waste collectors can separate the recyclable materials from the waste or separate materials like paper, plastic, metal, glass, cloth etc. from the source of production or from the material recovery facilities. To provide easy access to waste collectors and recyclers for collecting the recycled waste, the bins for storing biodegradable waste have been printed in green colour, in white for storing recycled waste and in black for storing other waste.



- (i) *establish waste deposition centres for domestic hazardous waste and give direction for waste generators to deposit domestic hazardous wastes at this centre for its safe disposal. Such facility shall be established in a city or town in a manner that one centre is set up for the area of twenty square kilometers or part thereof and notify the timings of receiving domestic hazardous waste at such centres;*

RICHA SINHA

- ✓ Establishing waste deposition centers for domestic hazardous waste will be established in a city or town in such a manner that one center will be established within a radius of 20 kilometers. The area or part thereof will be notified at the time of receiving domestic hazardous waste in these centres. A place is being searched for setting up such a facility. This facility will be set up as soon as suitable place is available. It is stated here that for the aforesaid purpose and for proper disposal of waste, Municipal Corporation has written a letter dated 05-05-2025 to the Divisional Forest Officer, Tarai East, Forest Department Haldwani for allotment of 10 acres of additional land. The photocopy of the letter dated 05-05-2025 is being annexed as **Annexure No. A-6** to this affidavit.

(j) *ensure safe storage and transportation of the domestic hazardous waste to the hazardous waste disposal facility or as may be directed by the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee;*

- ✓ Ensuring safe storage and transportation of domestic hazardous waste to the hazardous waste disposal facility or as directed by the State Pollution Control Board/Pollution Control Committee, compliance of which is being followed by separate boxes for hazardous waste in municipal garbage vehicles.

(k) *direct street sweepers not to burn tree leaves collected from street sweeping and store them separately and handover to the waste collectors or agency authorised by local body;*



RICHA SENOH

- ✓ To comply with this sub-clause of Rule 15 of the Solid Waste Management Rules 2016, the health workers who are engaged in the work of cleaning of streets in the city have been directed not to burn the tree leaves collected from cleaning of street and to store them separately and hand it over to the waste collector or organization authorized by the Municipal Corporation. The photographs showing collection of tree leaves done by health worker is being annexed as **Annexure No. A-7** to this affidavit.

(l) provide training on solid waste management to waste-pickers and waste collectors;

- ✓ To comply with this sub-clause of Rule 15 of the Solid Waste Management Rules 2016, training on solid waste management is being given from time to time to the waste collectors collecting waste within the Municipal Corporation limits. The photographs depicting the training being given to waste-pickers and waste collector is being annexed as **Annexure No. A-8** to this affidavit.



(m) collect waste from vegetable, fruit, flower, meat, poultry and fish market on day to day basis and promote setting up of decentralised compost plant or bio-methanation plant at suitable locations in the markets or in the vicinity of markets ensuring hygienic conditions;

- ✓ In compliance with this sub-clause of Rule 15 of the SMW Rules, the Municipal Corporation has made businessmen aware of the importance of setting up decentralized compost plants or bio-methanization plants at appropriate places in the markets or around the markets to collect waste from the fruits,

RS
RICHHA SINHA

flowers, meat, poultry and fish markets on a day-to-day basis and to ensure healthy conditions. But due to non-availability of land for the said plant in the said markets, the said plant could not be established at present but Nadep pits have been made for compost, through which the work of composting organic waste is being done. The photographs showing Nadep Pits is being annexed as **Annexure No. A-9** to this affidavit.

(n) *collect separately waste from sweeping of streets, lanes and by-lanes daily, or on alternate days or twice a week depending on the density of population, commercial activity and local situation;*

- ✓ In compliance with this sub-clause of Rule 15 of the Solid Waste Management Rules 2016, the Municipal Corporation is regularly undertaking the work of cleaning of the roads, streets and by-lanes in the entire city and the waste collected from such cleaning is being collected separately. The photographs showing cleaning of roads/street is being annexed as **Annexure No. A-10** to this affidavit.



(o) *set up covered secondary storage facility for temporary storage of street sweepings and silt removed from surface drains in cases where direct collection of such waste into transport vehicles is not convenient. Waste so collected shall be collected and disposed of at regular intervals as decided by the local body;*

- ✓ For the compliance of this sub-clause of Rule 15 of the Solid Waste Management Rules 2016, it is to be informed that the transport vehicles are convenient and more feasible for direct collection of garbage collected from road cleaning and sludge/waste taken out from surface drains by the Municipal


RICHIA SIMUTH

Corporation. The photographs showing collection and transportation of waste through transport vehicle is being annexed as Annexure No. A-11 to this affidavit.

(p) *collect horticulture, parks and garden waste separately and process in the parks and gardens, as far as possible;*

- ✓ To comply with this sub-clause of Rule 15 of Solid Waste Management Rules 2016, Municipal Corporation Haldwani Kathgodam is collecting waste from horticulture, gardens and orchards separately and in some parks, compost pits have also been made for their processing. The photographs showing collection of parks/garden waste is being annexed as Annexure No. A-12 to this affidavit.

(q) *transport segregated bio-degradable waste to the processing facilities like compost plant, bio-methanation plant or any such facility. Preference shall be given for on site processing of such waste;*

- ✓ To comply with this sub-clause of Rule 15 of Solid Waste Management Rules 2016, adequate arrangements have been made by Municipal Corporation Haldwani-Kathgodam to transport the separated bio-degradable waste to the processing facilities. It is stated here that the Municipal Corporation have constructed the Nadep pits through which the work of composting organic waste/bio-degradable waste is being done. The vehicle used for collection of waste uses loudspeaker for spreading awareness with regard to importance of on-site segregation at the household.



RECHA SENJITH

(r) *transport non-bio-degradable waste to the respective processing facility or material recovery facilities or secondary storage facility;*

- ✓ To comply with this sub-clause of Rule 15 of Solid Waste Management Rules 2016, necessary arrangements have been made to transport non-biodegradable waste to sequential processing facility or material recovery facilities or secondary storage facility. A contract has been signed with NTPC Vidyut Vyapar Nigam Ltd for setting up a plant for processing such waste. The vehicle used for collection of waste uses loudspeaker for spreading awareness with regard to importance of on-site segregation at the household.

(s) *transport construction and demolition waste as per the provisions of the Construction and Demolition Waste management Rules, 2016;*

- ✓ It is stated here that in the municipal limit of the Municipal Corporation Haldwani-Kathgodam the waste generated by way of construction and demolition is being used by the private agencies/ contractor for filling of trenches or levelling at other construction sites. And as such no construction/ demolition waste is left to be collected or stored at any place for the transportation for disposal by the Municipal Corporation.



(t) *involve communities in waste management and promotion of home composting, bio-gas generation, decentralised processing of waste at community level subject to control of odour and maintenance of hygienic conditions around the facility;*


RICHHA SENUM

✓ For the purpose of compliance of this sub-clause - A public awareness campaign is being run by the Municipal Corporation Haldwani-Kathgodam with the help of Bainsi Sena and elected ward members and school children to involve the communities in home composting, biogas production, decentralized processing of waste at the community level, subject to control of odour and maintenance of hygienic conditions around the community places/ public places.

(u) *phase out the use of chemical fertilizer in two years and use compost in all parks, gardens maintained by the local body and wherever possible in other places under its jurisdiction. Incentives may be provided to recycling initiatives by informal waste recycling sector.*

✓ In compliance to this sub-clause, it is stated here that in order to phase out the use of chemical fertilizers and to use compost in all parks and gardens maintained by the local bodies and wherever possible to do the same in other places under its authorities is being undertaken. The compost produced from the and Nadep pits is being used to fertilize the parks and gardens maintained by the Municipal Corporation.

(v) *facilitate construction, operation and maintenance of solid waste processing facilities and associated infrastructure on their own or with private sector participation or through any agency for optimum utilisation of various components of solid waste adopting suitable technology including the following technologies and*




RICHHA SENAH

adhering to the guidelines issued by the Ministry of Urban Development from time to time and standards prescribed by the Central Pollution Control Board. Preference shall be given to decentralised processing to minimize transportation cost and environmental impacts such as

- a) bio-methanation, microbial composting, vermi-composting, anaerobic digestion or any other appropriate processing for bio-stabilisation of biodegradable wastes;
- b) waste to energy processes including refused derived fuel for combustible fraction of waste or supply as feedstock to solid waste based power plants or cement kilns;

✓ In compliance with this sub-clause, the Municipal Corporation in order to establish solid waste processing facilities has entered into the Memorandum of Understanding (M.O.U.) dated 30-11-2023 which is signed between the Municipal Corporation Haldwani-Kathgodam and the N.T.P.C. Vidyut Vyapar Nigam Limited for setting up SWM Plant/Development of Municipal Solid Waste to Torrefied Charcoal Plant Facility (Capacity-500 TPD). A photocopy of the M.O.U. is being annexed as **Annexure No. A-13** to this affidavit. Apart from above, it is stated here that Municipal Corporation has also entered into contract with M/s Environmental Techno for the work of disposal of the Legacy Waste and the said firm has started the work also and currently the RDF (Refuse-Derived Fuel) generated in the disposal process of legacy waste is being made available to the sugar factory as fuel. A photocopy of the work order



RICHA SENUW

dated 27-01-2025 is being annexed as **Annexure No. A-14** to this affidavit.

(w) *undertake on their own or through any other agency construction, operation and maintenance of sanitary landfill and associated infrastructure as per Schedule 1 for disposal of residual wastes in a manner prescribed under these rules;*

- ✓ It is informed that non-binding agreement has been executed with the NTPC in which the construction of Development of Municipal Solid Waste to Torrefied Charcoal Plant Facility as well as the operation will be done by the NTPC for that the NTPC informed to give some more facility and thereafter the construction of the plant has to be done.

(x) *make adequate provision of funds for capital investments as well as operation and maintenance of solid waste management services in the annual budget ensuring that funds for discretionary functions of the local body have been allocated only after meeting the requirement of necessary funds for solid waste management and other obligatory functions of the local body as per these rules;*

- ✓ This sub-clause of Rule 15 relates to the Government of Uttarakhand/ concerned department.

(y) *make an application in Form-I for grant of authorisation for setting up waste processing, treatment or disposal facility, if the volume of waste is exceeding five metric tones per day including sanitary landfills from the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be;*



RICHA SENOH

- ✓ Applying for grant of authorization for setting up waste processing, treatment or disposal facility in this sub-clause of Rule 15, the schedule I of the Solid Waste Management Rules 2016, under which 5 metric tonne per day along with safe filling site from the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be if there is more than 5 metric tonne per day of waste, it is being complied with by Municipal Corporation Haldwani-Kathgodam.

(z) *submit application for renewal of authorisation at least sixty days before the expiry of the validity of authorisation;*

- ✓ This sub-clause of Rule 15 of Solid Waste Management Rules 2016, applying for renewal of authorization at least 60 days before the validity of the authorization expires, is being followed by the Municipal Corporation Haldwani-Kathgodam.



(za) *prepare and submit annual report in Form IV on or before the 30th April of the succeeding year to the Commissioner or Director, Municipal Administration or designated Officer;*

(zb) *the annual report shall then be sent to the Secretary -in-Charge of the State Urban Development Department or village panchayat or rural development department and to the respective State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by the 31st May of every year;*

- ✓ In compliance with this sub-clause (za) and (zb) of Rule 15 of the Solid Waste Management Rules, 2016, the annual report is being sent every year to the State Pollution Control


 RICHA SINHA

Board. A photocopy of the annual report of last year is being annexed as **Annexure No. A-15** to this affidavit.

(zc) *educate workers including contract workers and supervisors for door to door collection of segregated waste and transporting the unmixed waste during primary and secondary transportation to processing or disposal facility;*

- ✓ In compliance with this sub-clause of Rule 15 of the Solid Waste Management Rules 2016, the personnel including contract personnel and supervisors have been given training/information regarding door-to-door collection of segregated waste and un-mixed waste during primary and secondary transportation to the processing and disposal facility.

(zd) *ensure that the operator of a facility provides personal protection equipment including uniform, fluorescent jacket, hand gloves, raincoats, appropriate foot wear and masks to all workers handling solid waste and the same are used by the workforce;*

- ✓ In compliance with this sub-clause of Rule 15 of the Solid Waste Management Rules, 2016, it is being ensured that the operator of the facility is providing personal protective equipment i.e. uniform, fluorescent jackets, hand gloves, raincoat, appropriate footwear and masks to all the personnel engaged in handling solid waste and the same is also being used by the work force.



(ze) *ensure that provisions for setting up of centers for collection, segregation and storage of segregated wastes, are incorporated in*

RIKHA SINGH

building plan while granting approval of building plan of a group housing society or market complex; and

- ✓ In order to ensure that in compliance with this sub-clause of Rule 15 of the Solid Waste Management Rules 2016, before approving the construction plan of any group housing society or market complex, a request has been made to the District Development Authority to consider this fact before approving the map to ensure that a waste collection center is established for the collection, separation and storage of segregated waste in the building plan. A photocopy of the letter dated 06-06-2025 is being annexed as **Annexure No. A-16** to this affidavit.

(zf) frame bye-laws and prescribe criteria for levying of spot fine for persons who litters or fails to comply with the provisions of these rules and delegate powers to officers or local bodies to levy spot fines as per the bye laws framed; and

- ✓ In compliance with this sub-clause of Rule 15, provisions have been made under the Municipal Corporation Solid Waste Management Bye-laws/Bye-laws to impose on-site fine on the persons who spread garbage or fail to comply with the provisions of these rules and penalty proceedings are also being taken under the said provisions. A photocopy of the challan is being annexed as **Annexure No. A-17** to this affidavit.



(zg) create public awareness through information, education and communication campaign and educate the waste generators on the following; namely:-

RECHA SINHA

- (i) *not to litter;*
- (ii) *minimise generation of waste;*
- (iii) *reuse the waste to the extent possible;*
- (iv) *practice segregation of waste into bio-degradable, non-biodegradable (recyclable and combustible), sanitary waste and domestic hazardous wastes at source;*
- (v) *practice home composting, vermi-composting, bio-gas generation or community level composting;*
- (vi) *wrap securely used sanitary waste as and when generated in the pouches provided by the brand owners or a suitable wrapping as prescribed by the local body and place the same in the bin meant for nonbiodegradable waste;*
- (vii) *storage of segregated waste at source in different bins;*
- (viii) *handover segregated waste to waste pickers, waste collectors, recyclers or waste collection agencies; and*
- (ix) *pay monthly user fee or charges to waste collectors or local bodies or any other person authorised by the local body for sustainability of solid waste management.*

- ✓ In compliance with this sub-clause of Rule 15, creating public awareness among the citizens of the city and encouraging the waste generators not to spread garbage, to generate less waste, re-use of waste to the extent possible, bio-degradation of waste, non-biodegradable (recyclable and combustible), separation at source in the form of sanitary waste and domestic hazardous waste, disposal of used municipal waste in pouches provided by the brand owners or by the local body, wrapping it in prescribed suitable wrapping material and placing it in bins meant for non-biodegradable waste, storing the segregated waste in separate



RICHA SIMLIM

bins at source, handing over the segregated waste to waste pickers, waste collectors, recyclers or waste collection agencies and paying monthly user fee for solid waste management to the waste collectors or the local body or any other person authorized by the local body or along with informing the citizens of the city about the payment of charges, the Municipal Corporation is also organizing programs from time to time in government and private schools and the city to provide information in this regard through mics/ loudspeakers in garbage collection vehicles. In this work along with Municipal Corporation personnels, Cooperation of self-help groups and school children is also being taken. The photographs showing awareness programs being undertaken is being annexed as **Annexure No. A-18** to this affidavit.

(zh) *stop land filling or dumping of mixed waste soon after the timeline as specified in rule 23 for setting up and operationalisation of sanitary landfill is over;*

- ✓ The process is set in motion to stop filling the landfill with mixed waste immediately after the expiry of the time limit as specified in rule 23 for the establishment and operation of the sanitary landfill.

(zi) *allow only the non-usable, non-recyclable, non-biodegradable, non-combustible and non-reactive inert waste and pre-processing rejects and residues from waste processing facilities to go to sanitary landfill and the sanitary landfill sites shall meet the specifications as given in Schedule-I, however, every effort shall*



RS
 RICHA SINGH

be made to recycle or reuse the rejects to achieve the desired objective of zero waste going to landfill;

- ✓ Only non-usable, non-recyclable, non-biodegradable, non-combustible and non-active waste and pre-processed wastes and wastes from waste processing facilities has been allowed and these waste has been sent to the sanitary landfill site and the sanitary landfill sites. However, efforts are being made to recycle or reuse the waste as much as possible so that zero waste reaches the landfill site.

(zj) investigate and analyse all old open dumpsites and existing operational dumpsites for their potential of biomining and bio-remediation and wheresoever feasible, take necessary actions to bio-mine or bio-remediate the sites;

- ✓ It is stated here that presently in the limit of Municipal Corporation there is only one dumpsite available in the Gaula-Rokhran Haldwani, where the work of biomining and bio-remediation is being done. The photographs showing treatment of legacy waste is being annexed as **Annexure No. A-19** to this affidavit.

(zk) in absence of the potential of bio-mining and bio-remediation of dumpsite, it shall be scientifically capped as per landfill capping norms to prevent further damage to the environment.

- ✓ In case of no possibility of bio-mining and bio-remediation of the debris site, to prevent damage to the environment, the filling site will be scientifically covered as per the camping standards. Along with this, an agreement has also been



11
RICHHA SENGM

signed by the Municipal Corporation with NTPC Vidyut Vyapar Nigam Ltd.

- 5) That it is humbly prayed before this hon'ble court to kindly be pleased to take this additional response affidavit on record.

Verification

I, the above named deponent named above do hereby solemnly affirmed and state on oath and verify that the contents of para nos. ...1 to 3, 4p, 5..... of this affidavit are true to my personal knowledge, those of para nos.....4p.....of this affidavit are based on records, those of para nos.....of this affidavit are as per the legal advice received, those of para nos. of this affidavit are as per the information received which all I believe to be true. That no part of this affidavit is false and nothing material has been concealed. So Help Me God.

MJ
Deponent.

I, Manoj Joshi, posted as Assistant Clerk, Nagar Nigam Haldwani-Kathgodam, do hereby identify the deponent is known to me on the basis of the Aadhar Card (bearing no. .9662..2700.1584..) and I am satisfied that she is the same person as alleged by her.

Manoj
IDENTIFIER

RS
RICHHA SINGH



Solemnly affirmed before me today, the 27th day of June, 2025 at 3:45 am/pm by the deponent who has been identified by the aforesaid person.

I have satisfied myself by examining the deponent that she understands the contents of this affidavit, which have been read over and explained to her.

Notary



Richa Singh
Certified that Sri/Smt. _____
the deponent identified by Manoj Joshi
scanned & verified the contents of the
affidavit at Haldwani
on date 27/6/2025 time 3:45 P.M.

Dewan Singh Bisht
Advocate
Notary, Haldwani
Distt. Nainital UK India

D. S. Bisht
27/6/2025

127

RICHA SINGH

कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम

पत्रांक 916 /

दिनांक 24-7-2018

सेवा में,

1. सचिव
शहरी विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. सचिव
प्रभारी नियोजन
उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

विषय- मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट पिटीशन (PIL) सं0 40 ऑफ 2017 में दिनांक 18.07.2018 को जारी आदेश के अनुपालन हेतु संशोधित डी0पी0आर0 एंव कम्पोस्ट प्लाण्ट की आर0एफ0पी0 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कृपया अवगत कराना है, कि मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट पिटीशन (PIL) सं0 40 ऑफ 2017 में दिनांक 18.07.2018 को जारी आदेश (आदेश की प्रति दाहिनी ओर सलग्न) में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्ट हेतु निम्न समयबद्ध कार्यक्रम नियत किया गया है:-

- (A) रिवाईज्ड Request for Proposal भेजना- दिनांक 25.07.2018 से पूर्व
- (B) सचिव, शहरी विकास द्वारा आवश्यक अनुमति- दिनांक 01.08.2018 से पूर्व।
- (C) टेण्डर प्रोसेस सैट अप- दिनांक 07.08.2018 से पूर्व।
- (D) टैकनीकल/फाईनैन्सियल बिड- दिनांक 01.09.2018 से पूर्व पूर्ण।
- (E) एलाटमेंट लेटर जारी- दिनांक 07.09.2018

उक्त आदेश के अनुपालन हेतु सात निकायों हल्द्वानी, रूद्रपुर, नैनीताल, भीमताल, भवाली, लालकुआ, किच्छा, का ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु संशोधित डी0पी0आर0 जिसकी अनुमानित लागत रु. 42.64 करोड एंव क्रियान्वयन लागत रु. 11.61 करोड प्रतिवर्ष है। जिसके क्रम ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग एवं डिस्पोजल प्लान्ट की आर0एफ0पी0 को संशोधन उपरांत स्वीकृति जारी करने का कष्ट करेंगे। ताकि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन समयानुसार सुनिश्चित किया जा सके।

(चन्द्र सिंह मर्तोलिया)
नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम

भवदीय
24/07/18
(विनोद कुमार सुमन)
प्रशासक,
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम

प्रतिलिपि- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(चन्द्र सिंह मर्तोलिया)
नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम

(विनोद कुमार सुमन)
प्रशासक
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम



2/14
RICHA SINGH

संख्या- 2661/IV(3)-2018-12(22 SWM)/18

प्रेषक,

आर०के०सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय (सूडा),
उत्तराखण्ड, देहरादून।



शहरी विकास अनुभाग-3

देहरादून:दिनांक 15 सितम्बर, 2018।

विषय:- हल्द्वानी-काठगोदाम कलस्टर की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं०-541/श०वि०नि०/4-एफ०सी०/एस०डब्ल्यू०एम०/17, दिनांक 30.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा हल्द्वानी-काठगोदाम कलस्टर की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना की रू० 4319.57.98 लाख की संशोधित डी०पी०आर० प्रेषित करते हुए स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- विषयगत कार्य हेतु शासनादेश संख्या-1628/IV(2)-श०वि०-2014-3(InNURM)-13, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कुल रू० 3488.00 लाख की लागत स्वीकृत करते हुये धनराशि रू० 1744.00 लाख अवमुक्त की गयी थी।

3- आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 30.07.2018 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी संशोधित डी०पी०आर० रू० 4319.57 लाख का टी०ए०सी० द्वारा परीक्षण करने के उपरांत रू० 3872.58 लाख की लागत औचित्यपूर्ण पायी गयी है। टी०ए०सी० द्वारा पायी गयी औचित्यपूर्ण धनराशि रू० 3872.58 लाख के सापेक्ष सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत विभागीय समिति की दिनांक 03.08.2018 को सम्पन्न बैठक में हल्द्वानी-रूद्रपुर कलस्टर की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना पर विस्तार से विचार-विमर्श करते हुये संशोधित डी०पी०आर० रू० 3872.58 लाख में वाहनों के क्रय की धनराशि मूल डी०पी०आर० के अनुरूप रखे जाने तथा आई०ई०सी० गतिविधियों हेतु प्रस्तावित धनराशि रू० 144.76 लाख पर स्वीकृति प्रदान नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके दृष्टिगत उक्त परियोजना को पूर्ण किये जाने हेतु कम्पोस्ट प्लांट व एस०एल०एफ० से संबंधित कार्यों हेतु मात्र रू० 1905.49 लाख की आवश्यकता निम्न प्रकार होगी:-

Sl.No.	Item description	Capital Expenditure (Scheduled Item), Rs. in Lakh	Capital Expenditure (Non Scheduled Item), Rs. in Lakh	Grand Total, Rs. in Lakh
1	Civi Work-Compost Plant and Site Work	720.26	8.30	
2	Civi Work-Sanitary Landfill	302.17	298.35	539.56
3	Material and Machinery	1028.43		
4	Sub Total	30.85		
5	Contingency (3%)	1059.28	846.21	1905.49
	Total			

उक्त लागत रू० 1905.49 लाख में से निदेशालय स्तर पर रक्षित धनराशि में से रू० 252.00 लाख निर्गत किये जाने है तथा रू० 1395.20 स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जानी है तथा अवशेष धनराशि रू० 258.29 लाख

Richa Singh
RICHASINGH

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में स्वीकृत धनराशि में से दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

4- इस प्रकार हल्द्वानी-रूद्रपुर कलस्टर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना हेतु वाहनो के कय हेतु रू0 1492.00 लाख तथा कम्पोस्ट प्लांट व एस0एल0एफ0 से संबंधित कार्यों हेतु मात्र रू0 1905.49 लाख अर्थात् कुल लागत रू0 3397.49 लाख की संशोधित डी0पी0आर0 की स्वीकृति प्रदान की जानी होगी।

5- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय परीक्षण समिति की दिनांक 03 अगस्त, 2018 को आहूत बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में उपरोक्त कार्य हेतु टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी लागत रू0 3872.58 लाख में से रू0 3397.49 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी Guideline एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्य को राज्य द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(3) धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा एवं मितव्ययिता की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।

(4) निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था और उसके अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(5) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(6) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(7) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाए।

(8) उक्त परियोजना की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख को शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) शासनादेश संख्या-1628/IV(2)-श0वि0-2014-3(InNURM)-13, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 की शर्तों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उक्त आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-393/XXVII(2)/2018, दिनांक 17 सितम्बर, 2018 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 सुधांशु)
सचिव,



RICHA SINGH

संख्या-2661/IV-3-2018-12(22 SWM)/18, तद्दिनांक:


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम।
6. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(रईस अहमद)
अनु सचिव।




RICHIA SINGH

Nagar Nigam Haldwani-Kathgodam

Dispatch No. 2072

Dated : 16-12-2017

Letter of Award (LOA)

To
M/s A2Z Waste Management Ludhiana Ltd
Plot No. B-38, Sector – 32
Institutional Area,
Gurgaon – 122001 (Haryana)

Sub: Door to Door Collection, Secondary Storage and Transportation of Solid Waste Management System

Dear Sir/Madam,

In response to your participation in the above mentioned bid floated by Nagar Nigam Haldwani opened on 06.11.2017, Nagar Nigam Haldwani is pleased to inform you that the Competent Authority after having followed the due process has selected M/s A2Z Waste Management Ludhiana Ltd as the successful bidder for the Haldwani Door to Door Collection, Secondary Storage and Transportation of Solid Waste Management System.

This letter of Award is to convey acceptance of your proposal for Collection & Transportation Charge (CTC) quoted as per the bid proposal:

Rs. 1037/- Per MT for Door to Door Collection, Secondary Storage and Transportation of Solid Waste Management System for a period of 10 years.

You are hereby requested to convey your acceptance of this Letter of Award through a letter of Acceptance within 2 weeks of Issue of LOA. You are also advised to enter Concession Agreement with Nagar Nigam Haldwani within 4 weeks of acceptance of LOA, which shall be executed by the Competent Authority of Nagar Nigam, Haldwani. The above is as per the RFP but however to address the mission and objectives of Swachh Bharat abhiyan it is expedite the process of segregation, collection and transportation of municipal waste in Haldwani.

With Best Regards,



Richa
26/12/17

[Signature]
Nagar Ayukt
Nagar Nigam Haldwani-Kathgodam

[Signature]
RICHHA SIMON




कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम

नैनीताल रोड, हल्द्वानी पिन कोड- 263139

(www.Nagarnigamhaldwani.in)toll free no- 88826 10000

E-Mail- haldwaninagarnigam@gmail.com दूरभाष- 05946-220035



पत्राक:- 188

दिनांक:- 30/4/24

सेवा में,

सचिव / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
नैनीताल/सीनियर सिविल जज,
नैनीताल।

विषय:- रैग पिकर्स सर्वे के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 134 जि0वि0से0प्रा0 नैनीताल/2024 दिनांक 25.04.2024 के द्वारा आहुत बैठक दिनांक 27.04.2024 हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रैग पिकर्स से सम्बन्धित प्रगति आख्या के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम सीमान्तर्गत नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम द्वारा 105 रैग पिकर्स चिन्हित किये गये हैं तथा उन रैग पिकर्स के निम्नवत 11 स्वयं सहायता समूह वर्तमान तक गठित किये जा चुके हैं जिनका विवरण निम्नवत है।

क्रम सं०	समूह का नाम	सदस्यों की संख्या
1.	भावना स्वयं सहायता समूह।	10
2.	मीनी स्वयं सहायता समूह।	10
3.	करीना स्वयं सहायता समूह।	10
4.	सोनिया स्वयं सहायता समूह।	10
5.	रुकसाना स्वयं सहायता समूह।	10
6.	बिजली स्वयं सहायता समूह।	10
7.	निर्जला स्वयं सहायता समूह।	10
8.	शमा स्वयं सहायता समूह।	10
9.	पंचतत्व स्वयं सहायता समूह।	08
10.	अंकुर स्वयं सहायता समूह।	08
11.	शगुन स्वयं सहायता समूह।	09

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि रैग पिकर्स के निवास स्थल पर नगर निगम द्वारा दो मोबाइल टॉयलेट भी लगाए गए हैं तथा रैग पिकर्स में नगर निगम द्वारा गम बूट, मास्क तथा जेकेट का वितरण भी किया गया है इसके अतिरिक्त नगर आयुक्त नगर निगम द्वारा नगर निगम हल्द्वानी सभागार में दिनांक 26/04/2025 को रैग पिकर्स की बैठक आहुत की गई जिसमें रैग पिकर्स को विभिन्न लाभकारी योजनाओं के विषय में बताया गया।

(Signature)

वरिष्ठ नगर स्वा० अधिकारी
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम

प्रतिलिपि- नगर आयुक्त महोदया, को सूचनार्थ।

(Signature)
वरिष्ठ नगर स्वा० अधिकारी
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम



(Signature)
RICHIA SINGH



रिट शक्ति (रीट/अर्ज/सूचना) संख्या- 180/2024 उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संप्र एवं अन्य के अनुपालन हेतु Rag-Pickers संबंधित सूचना													
क्र.सं.	जिला	नगर विभाग	Rag-Picker का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पूल पता	स्थानीय पता	जाति	आधार कार्ड संख्या	वोटर कार्ड संख्या	जति प्रमाण पत्र (हॉ/नहीं)	राशन कार्ड (हॉ/नहीं)	टिप्पणी
1	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	अंगूरी	काजू	1/1/1973	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	405273919040	CFY2303626	नहीं	हॉ	
2	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	अंगूरी	मान सिंह	1/1/1990	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	263229120059	RAK494344	नहीं	हॉ	
3	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	द्रोपदी	राधे लाल	1/1/1976	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	564837467229	RAK6112742	नहीं	हॉ	
4	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	गुड्डी देवी	राजेश	1/1/1973	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	491839691784	CFY1742774	नहीं	हॉ	
5	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	कलश्री	महेन्द्र	1/1/1985	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	381427558562	नहीं	हॉ	
6	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	पिकी देवी	राम	20/12/1990	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	348836412949	RAK0454066	नहीं	हॉ	
7	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	रेखा	लल्ला	1/1/1993	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	378619513005	नहीं	हॉ	
8	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	सुमन	वेद प्रकाश	1/1/1964	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	825228562922	CRY2303600	नहीं	हॉ	
9	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	विमलेश	महेन्द्र	1/1/1994	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	338279412715	नहीं	हॉ	
10	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	अनारी देवी	राधेश्याम	4/3/1971	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	421391871590	CFY1742550	नहीं	हॉ	
11	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	अंगवान देवी	राम सिंह	1/1/1962	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	268730872878	UP/04015090469	नहीं	हॉ	
12	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	जगदीश	मगवान दास	1/1/1974	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	419978302396	CFY4002432	नहीं	हॉ	
13	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	माया देवी	बालक राम	1/1/1974	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	606278052573	CFY1742584	नहीं	हॉ	
14	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	गुन्नी	महाराज	1/1/1964	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	870706828663	CFY1742220	नहीं	हॉ	
15	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	राजवती	मुन्ना लाल	1/1/1976	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	699364384580	CFY6106686	नहीं	हॉ	
16	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	सीता	किशोर	1/1/1985	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	554065443965	CFY4002978	नहीं	हॉ	
17	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	सीता देवी	बाबू राम	1/1/1984	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	468101682028	RAK6086797	नहीं	हॉ	
18	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	दानिश अहमद	हफिज अहमद	1/1/1988	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	292314673343	नहीं	हॉ	
19	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	गगन	हंसराज	1/1/1990	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	610028248697	नहीं	हॉ	
20	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	जज्जी	सुरेश	1/1/1999	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	825298598284	नहीं	हॉ	
21	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	मौसम कुमार	गानक	1/1/1988	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	369815868942	नहीं	हॉ	
22	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	मोवीन अख्तर	रहस	1/1/1990	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	468259477874	नहीं	हॉ	
23	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	रोबिन काडपाल	विनीत चन्द	1/1/1982	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	526231043886	नहीं	हॉ	
24	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	शकील	मोह. हाफिज	1/1/1999	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	547572552703	नहीं	हॉ	
25	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	विजय कुमार	गगन बाबू	1/1/1983	ज्वाहर नगर	ज्वाहर नगर	OBC	556914160122	नहीं	हॉ	
26	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	समरुल	पन्तू	1/1/1997	गफूर बस्ती	गफूर बस्ती	OBC	474835009390	नहीं	हॉ	
27	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	शमा	दिलीप	1/1/1982	गफूर बस्ती	गफूर बस्ती	OBC	642275861567	नहीं	हॉ	
28	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	राजिया	अब्दुल सलमान	1/1/1978	गफूर बस्ती	गफूर बस्ती	OBC	472748440724	CFY5699210	नहीं	हॉ	
29	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	परवीन बानो	समीम	1/1/1987	गफूर बस्ती	गफूर बस्ती	OBC	440743651839	नहीं	हॉ	
30	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	सरबेटीन	जाफर	1/1/1982	गफूर बस्ती	गफूर बस्ती	OBC	994724415010	नहीं	हॉ	
31	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	नवबीन बेगुआ	मोह. हनिफ	1/1/1954	गफूर बस्ती	गफूर बस्ती	OBC	446007714427	नहीं	हॉ	
32	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	अर्पण	मुकदर	1/1/1988	गफूर बस्ती	गफूर बस्ती	OBC	698138698408	नहीं	हॉ	
33	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	इजाजत	बिक्रम	1/1/1966	गफूर बस्ती	गफूर बस्ती	OBC	962878517620	नहीं	हॉ	
34	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	नगमा	इरमाईल	1/1/1988	गफूर बस्ती	गफूर बस्ती	OBC	570107048037	नहीं	हॉ	
35	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	सन्हेरी	अध्वर अली	1/1/1992	गफूर बस्ती	गफूर बस्ती	OBC	784599781502	RAK050340	नहीं	हॉ	
36	नैनीताल	नगर विभाग हल्द्वानी	आरती	कसबली	1/1/1990	किचवाई नगर	किचवाई नगर	OBC	335543624793	नहीं	हॉ	

12/

RICHA SIMRAN



37	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	भायवना	करिया	1/1/1995	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	309971720221	RAK0553452	श्री	श्री	
38	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	कल्याणा	पूरुग	1/1/2003	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	921255756136	CFY2163970	श्री	श्री	
39	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	सवित्री देवी	अदरक	1/1/1999	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	967638679050	RAK0761544	श्री	श्री	
40	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	रीना	अमीर	1/1/1986	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	315068254338		श्री	श्री	
41	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	सुनीता देवी	सुश्री राम	1/1/1984	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	938215511024		श्री	श्री	
42	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	रेशमा	मुकेश	1/1/1986	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	863895549783	RAK0982793	श्री	श्री	
43	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	दिदुल्ल	राम लखन	1/1/1986	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	765473819889		श्री	श्री	
44	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	नीलम	सुनल	5/7/1990	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	608811376702		श्री	श्री	
45	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	सुनीता	राम प्रकाश	1/1/1984	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	855110618821		श्री	श्री	
46	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	शालू	विजय	10/3/1994	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	260673506885	RAK0572909	श्री	श्री	
47	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	निर्मला	बस्ती	1/1/1988	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	861018429724	RAK0933531	श्री	श्री	
48	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	नमिन	राकेश	1/1/1985	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	776164829321	RAK6119549	श्री	श्री	
49	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	सुतारिया	नीसम	1/1/1983	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	921972775990	RAK0256222	श्री	श्री	
50	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	महिमा	रम सिंह	1/1/1987	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	637873871722	RAK6120299	श्री	श्री	
51	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	नानबच्छा	सुनित	1/1/1988	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	448809545728	RAK0251660	श्री	श्री	
52	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	अमिता	गगन	1/1/1986	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	856581259762	RAK6119127	श्री	श्री	
53	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	करुमा	कल्पू	3/4/1999	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	550824585230	RAK0933507	श्री	श्री	
54	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	करोदा	सरदार	1/1/1972	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	848803538259	RAK0620476	श्री	श्री	
55	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	रेशमा	परदेती	1/1/1979	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	725210089482	RAK6119879	श्री	श्री	
56	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	बिजली	सैयद अली	1/1/1985	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	841581947300		श्री	श्री	
57	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	परवीन	गब्बर	1/1/1984	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	778043252406	CFY2527919	श्री	श्री	
58	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	किराना	हुसैन	1/1/1983	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	778043252406		श्री	श्री	
59	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	खशी	पप्पू	1/1/2002	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	558174101552		श्री	श्री	
60	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	गुलशन	शैम	1/1/1981	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	345219219274		श्री	श्री	
61	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	मौसामा	तारिक	1/1/1994	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	691801852149		श्री	श्री	
62	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	चंदिनी	सफीका	1/1/1980	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	451668463862		श्री	श्री	
63	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	जरीना	सबिर	1/1/1971	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	626744109275		श्री	श्री	
64	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	अफरोज	आफताब	1/1/1989	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	306280446718		श्री	श्री	
65	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	करीना	रामू	1/1/1998	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	316435752742		श्री	श्री	
66	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	सोनिया	आरामज	1/1/1986	गफूर बस्ती	गफूर बस्ती	OBC	876270573526		श्री	श्री	
67	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	सोहनना	धरपुशिया	1/1/1999	गफूर बस्ती	गफूर बस्ती	OBC	261639984520	RAK0689570	श्री	श्री	
68	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	मनाका	किरमत	1/1/1988	गफूर बस्ती	गफूर बस्ती	OBC	252188715200	CFY2000396	श्री	श्री	
69	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	सपना	श्रीराम अली	1/1/1988	गफूर बस्ती	गफूर बस्ती	OBC	525825234833		श्री	श्री	
70	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	रीना	लाइल	1/1/1991	गफूर बस्ती	गफूर बस्ती	OBC	691274664821	RAK0251249	श्री	श्री	
71	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	राजकमारी	पुनीषा	1/1/1992	गफूर बस्ती	गफूर बस्ती	OBC	420616906043	CFY2527927	श्री	श्री	
72	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	शबनम	सहार अली	1/1/1986	गफूर बस्ती	गफूर बस्ती	OBC	733848330048	CFY5571112	श्री	श्री	
73	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	माया	नियोज अली	1/1/1986	गफूर बस्ती	गफूर बस्ती	OBC	579087822889		श्री	श्री	
74	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	मौसमीन	इसराईल	1/1/1986	गफूर बस्ती	गफूर बस्ती	OBC	537862147135		श्री	श्री	
75	नेनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	इसरत	जफर हसाम	1/1/1974	गफूर बस्ती	गफूर बस्ती	OBC	693003379063	CFY4356135	श्री	श्री	

RICHA SINGH



76	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	रुक्मेशाना	साईर अली	1/1/1997	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	783226921221		नही	हो
77	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	रुखरसार	मोह. उमर	1/1/1998	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	306449140073		नही	हो
78	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	आशा	सरिफ	1/1/1984	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	396830163923	CFY0009660	नही	हो
79	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	रिजवाना	विलतन	1/1/1977	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	903577472327	RAK0497578	नही	हो
80	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	रुमा	समर अली	1/1/1991	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	374568386849		नही	हो
81	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	इजाजुल	सादिक	1/1/1996	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	529184688709		नही	हो
82	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	आलमीन	संजय	1/1/1980	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	411248613548	CFY2001006	नही	हो
83	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	अनिशान	छोटो	1/1/1979	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	813697720564		नही	हो
84	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	समीना	मोसम	1/1/1981	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	798172186240		नही	हो
85	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	हीरो	बबर	1/1/1981	किदवाई नगर	किदवाई नगर	OBC	359341641503		नही	हो
86	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	कर्रीना	मुन्नाज	1/1/2002	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	933246386024		नही	हो
87	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	सुहाना	यूसुफ	1/1/1999	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	401733859136		नही	हो
88	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	अंजलि	सदक	1/1/1999	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	457498002785		नही	हो
89	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	अशी	कदम	1/1/1999	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	661172533559	RAK0933523	नही	हो
90	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	सजना	साहिब	1/1/1999	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	318409945112	RAK0702969	नही	हो
91	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	चांद बीबी	बबन	1/1/1987	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	584657614117		नही	हो
92	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	रूपा	महबूब	1/1/1999	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	232530727700		नही	हो
93	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	साजिदा	अफ़्तर अलि	1/1/2002	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	703018425322		नही	हो
94	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	नज़मा	सरतार	1/1/1971	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	767359816041		नही	हो
95	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	तैयबा	महबूब	1/1/1986	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	831137521681		नही	हो
96	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	मिनी	रेहना	1/1/1989	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	421287377881		नही	हो
97	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	सुनीता	सलमान	1/1/1994	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	931368777125		नही	हो
98	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	बसंती	राम्भो	1/1/1987	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	247806236559	RAK0411876	नही	हो
99	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	विष्णुआ	विष्णुआ	1/1/1981	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	716481078680		नही	हो
100	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	हीर रांझा	साहिब	1/1/1985	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	905093676029		नही	हो
101	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	सोनी	मो. इस्तीयाक	1/1/1984	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	837186876137		नही	हो
102	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	कटनी	रघू	1/1/1970	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	795289308839		नही	हो
103	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	अकबालिन	अकबल	1/1/1981	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	769738076168		नही	हो
104	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	कामिनी	हारन	1/1/1982	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	683399404369	CFY5546957	नही	हो
105	नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	जरीजा	हरनैन	1/1/1971	डोलक बस्ती	डोलक बस्ती	OBC	825680455113		नही	हो

1/1/1977

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम हल्द्वानी

RICHA SINGH



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 अगस्त, 2020 ई० (श्रावण 24, 1942 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम

उपविधि

19 मार्च, 2020 ई०

पत्रांक: 2894-नगर निगम अधिनियम की धारा 541(1)(42) के एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली, 2016 के नियम 15 (ड), 15 (घ) एवं 15 (यच) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम द्वारा ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए अपने क्षेत्राधिकार में लागू किये जाने हेतु निम्नलिखित उपविधियाँ बनाई गयी है :-

अध्याय-1

सामान्य

- संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख
 - ये उप-नियम नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2019 कहलायेंगे।
 - ये उप-नियम नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
- ये उप-नियम नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।
- परिभाषाएं

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप नियमों में निम्नांकित परिभाषाएं लागू हैं:-

- (क) "बल्क उद्यान और बागवान कचरा" का अर्थ है, उद्यानो, बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेड़ों की छटाई से उत्पन्न कचरा, पेड़ों की कटिंग, टहनियां, लकड़ी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेड़ों की छटाई आदि से उत्पन्न ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नहीं किया जा सकता है।
- (ख) "बल्क कचरा उत्सर्जन का अर्थ है कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे बाद में यहा एस. डब्ल्यू.एम नियम कहा जाएगा) के नियम 3(1) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्ध वार्ड कार्यालय के सहायक आयुक्त या उससे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;
- (ग) "संग्रह" का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुंचाना;
- (घ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है नगर निगम के नगर आयुक्त, अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति।
- (ङ) "निर्माण एवं विध्वंस कचरा" का वही अर्थ होगा, जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया है।
- (च) "स्वच्छ क्षेत्र" का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारों ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख-रखाव इन उपनियमों के अंतर्गत किया जाना है।
- (छ) "सामुदायिक कूड़ा घर (डलाव)" का अर्थ है, नगर निगम द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सड़क किनारे/ऐसे मालिकों/अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;
- (ज) "कंटेनराइज्ड हैड कार्ट" का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर निगम या उसके द्वारा नियुक्त एजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत्त टैला;
- (झ) "सुपुर्दगी" का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर निगम के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर निगम द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौंपना अथवा उसे नगर निगम या नगर निगम द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;
- (ञ) "ई-कचरा" का अर्थ वही होगा, जो ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 3(1)(आर) में निर्दिष्ट किया गया है;
- (ट) "फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस)" का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती है। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती है, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है;
- (ठ) "कूड़ा-कचरा" का अर्थ है, सभी प्रकार का कूड़ा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेंकना अथवा संग्रह करना इन उप-नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुंचाने की आशंका हो।
- (ड) "गंदगी फैलाने" का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, डलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुंचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।
- (ढ) "स्वामी" का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रूप में अधिकारों का इस्तेमाल करता है,



RECHA SINGH

- (ण) "अधिभोगी/पट्टेदार" का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं, जो तत्त्वमय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं।
- (प) "पैलेटाइजेशन" का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकड़े होते हैं; और उनके ईंधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हें रिपयूज डेराइब्ड ईंधन कहा जाता हैं।
- (फ) "निर्धारित" का अर्थ है, एसडब्ल्यूएम नियमों और/या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित;
- (ब) "सार्वजनिक स्थल" का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नहीं;
- (म) "संग्रहण" का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों, आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;
- (न) "सैनेटरी वर्कर" का अर्थ है, नगर निगम के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियों को साफ करने के लिये नगर निगम/एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;
- (य) "शेड्यूल" का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्ध शेड्यूल;
- (र) "इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी" का अर्थ है, नगर निगम द्वारा समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, दुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें;
- (ल) "खाली प्लॉट" का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी से सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थल, जिस पर किसी का कब्जा न हो;
- (2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा।

अध्याय -2

ठोस कचरे का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4. ठोस कचरे का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

(प) सभी कचरा उत्सर्जकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलों से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रूप से पृथक् करें और उसे संगृहीत करें। यह पृथक्करण मुख्य रूप से निम्नांकित 3 वर्गों में किया जायेगा:-

(क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनों श्रेणियों के कचरे को कबड कचरा डिब्बों में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगर निगम के निर्देशों के अनुसार पथकृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सौपेगा।

(पप) प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उज्ज्वलित ठोस कचरे को पृथक् करे और उसे संगृहीत करे निम्नांकित 3 वर्गों में:-

(क) गैर-जैव अपघटीय या खुरक कचरा


(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कूड़ेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा, जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्कृत कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एजेंसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रों या संग्रहण केंद्रों को सौपेगा और उसके लिए को नगर निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित दुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।

(पपप) पृथक् किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूड़ेदानों का रंग इस प्रकार होगा:-

हरा - जैव अपघटीय कचरे के लिए;

नीला - गैर-जैव अपघटीय या खुरक कचरे के लिए;



RICHA SINUM

गणना गरेर जोखिमपूर्ण कचरे को लिए (पा) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर निगम के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करे कि घरवालोंको द्वारा खोल कर कचरे का पुनःकरण किया जाए, मुख्यतः कचरे को अलग अलग डिब्बों में संग्रहित किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वाली को रीपैज किया जाए। जैव अपघट्य कचरे को प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-निश्चेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कचरे को नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ता या एजेंसी को दिया जाएगा।

(अ) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कचरा रखने वाले सभी द्वारद्वय समुदाय तथा सम्पूर्ण नगर निगम की भागीदारी के साथ सुनिश्चित करे कि घरवालोंको द्वारा कचरे का खोल पर पुनःकरण हो, पुनः किया गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखने और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को रीपैज। जैव अपघट्य कचरे को प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-निश्चेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(अप) सभी होटल और रेस्त्रां, नगर निगम के भागीदारी से, कचरे का खोल पर पुनःकरण सुनिश्चित करे, पुनः किए गए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संग्रहित करे और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौंपे। जैव अपघट्य कचरे को प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-निश्चेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(अपप) कोई व्यक्ति गैर-लाइसेंस स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरूरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर निगम को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित ज्ञानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे का खोल पर अलग अलग किया जाए ताकि नगर निगम द्वारा निर्धारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौंपा जा सकें।

(अपपप) सेनिटरी उत्पादों से उत्पन्न कचरे को तत्संबंधी विनिर्माताओं या ब्रीड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउडरों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघट्य संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर-जैव अपघट्य या खुरक कचरे के लिए बनाए गए कूड़ेदान में रखा जाना चाहिए।

(पप) प्रत्येक गृही विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्पन्न होने वाली खाद्य सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप, डिब्बे, पैपर्स, नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूड़ेदानों में संग्रहित करेगा और उसे नगर निगम द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौंपेगा।

(प) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्पन्न कचरे को अलग से एकत्र करेगा और समय समय पर नगर निगम के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेगा।

(पप) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर निगम या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुंचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।

(पपप) निर्माण कार्य और भवनों को बहाए जाने से उत्पन्न कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2018 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा।

(पपपप) बायो मेडिकल कचरा, ई-कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नहीं किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।



RICHA SIMON

(गपअ) निर्दिष्ट बूचडखानों और बाजारों को छोड़ कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कच्चाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप पोल्ट्री, मछली और पशु वध संबन्धी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हें ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन/रथल तक पहुंचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूड़ा घरों में डालना निषेध होगा।

(गअ) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हें अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी निगम श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय-3

ठोस कचरा संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगा:-

(प) नगर निगम के सभी क्षेत्रों या बाड़ों में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्ल्यूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर निगम संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(पप) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर निगम वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संरथागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा।

(पपप) कचरे को स्व-स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबंध किए जाएंगे।

(पा) सब्जी फल, फूल, मांस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

(अ) बागवानी और उद्यान संबन्धी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(अप) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं दुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता है।

(अपप) कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध है। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

(अपपप) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर निगम द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ऑटो-टिप्पर्स/रिक्शा आदि वाहनो में डालने के लिए जिम्मेदार होंगे।

बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों (इन उपनियमों के खंड 4 व उप-खंड(पा) और (अ) के अंतर्गत आने वालों को छोड़ कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

(पाग) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनो के चयन के लिए बदलती जरूरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजों को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएंगे, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगे और उनमें जैव अपघटीय और गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो पर हटर भी लगा होगा।

(पाग) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण, घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।



RICHA SIMHA

(गप) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा दुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाएं और नगर निगम द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं तालिकाबद्ध और जीआईएस मानचित्र में होगी, जो नगर निगम द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगर निगम अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और दुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ऐसी जानकारी नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(गपप) तंग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक थ्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन/ साइकिल रिक्शा काम पर लगाया जाएगा, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनों में हूटर लगा होगा और यह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।

(गपपप) अत्यंत भीड़ भाड़ वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां थ्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।

(गपअ) ऐसी छोटी, तंग और भीड़ी गलियों/लेनों में जहां थ्रीव्हीलर/रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो, ऐसे स्थानों पर बस्ति/गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खड़ा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(गअ) ऑटो टिप्पर, थ्रीव्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य खोतो जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूड़ेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।

(गअप) नगर निगम या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

अध्याय-4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नांकित अनुसार किया जाएगा

(प) घरों में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूड़ा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

(पप) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा, जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होंगे:-

- (क) गैर-जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा
- (ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा
- (ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।

(पपप) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर निगम द्वारा चिन्हित अलग अलग कंटेनरों का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगा:-

- हरा: जैव अपघटीय कचरे के लिए
- नीला: गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए
- काला: घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगर निगम समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।



RECHA SIMHA

- (पअ) नगर निगम स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रों का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वारथ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।
- (अ) द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर निगम या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप-नियमों में वर्णित अनुसार अलग अलग रंगों के होंगे।
- (अप) संग्रहण केन्द्रों का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।
- (अपप) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पड़े।
- (अपपप) सभी आवास सहकारी समितियों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप-नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूड़ेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानों पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढंग से संगृहीत किया जा सकें।
- (पग) नगर निगम या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा किये सप्ताहिक आधार पर सभी कूड़ाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करे।
- (ग) सूखे कचरे (गैर-जैव उपघटीय कचरा) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर
- (क) नगर निगम अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केंद्रों के रूप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
- (ख) गली/घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर-जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केंद्रों को स्थानांतरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेगे।
- (ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते हैं अथवा अधिकृत एजेंटों और/या नगर निगम से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्ण अधिसूचित दरों के अनुसार बेच सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रीसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रीसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते हैं। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशी रखने का हकदार होंगे।
- (गप) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र
- (क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहां निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासमभव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।
- (ख) नगर निगम अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौंप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथककृत तरीके से एकत्र करे।
- (ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रों पर अलग से लाया जाएगा।

अध्याय-5

ठोस कचरे की दुलाई

7. ठोस कचरे की दुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:-

(प) कचरे की दुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभांति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पड़े। इन वाहनों में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते हैं, जो नगर निगम द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

(पप) नगर निगम द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूड़ेदान या कंटेनरों के आस पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।



RECHA SINHA

- (पपप) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथककृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो-मिथेनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुँचाया जाएगा।
- (पअ) जहा कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।
- (अ) एकत्र किया गया गैर-जैव अपघटीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुँचाया जाएगा।
- (अप) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की दुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानो के अनुसार की जाएगी।
- (अपप) नगर निगम कचरे की समुचित ढंग से दुलाई के प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।
- (अपपप) दुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचा जा सकें।
- (पग) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहां कही प्रदान किए गए हों, में जमा/स्थानांतरित करेंगे।
- (ग) यदि किसी कारणवश एमटीएस/एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खड़े नहीं पाए जाएंगे, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।
- (गप) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।
- (गपप) कचरे की दुलाई के दौरान विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नहीं होना चाहिए।
- (गपअ) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और दुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएगी।
- (गअ) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करने वाले निर्दिष्ट ऑटो-टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों/कूड़ादानों से कचरा प्राप्त करेंगे।
- (गअप) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो-टिप्परों, तिपहिया वाहनो, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्ध एमटीएस तैनात किए जाएंगे।
- (गअपप) एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूड़ा करकट इधर उधर न फैले।
- (गअपपप) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चाहिए।
- (गअग) नगर निगम अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

अध्याय-6

ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग :-

- (प) नगर निगम ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्ध ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन किया जायेगा:-
- (क) दुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो-मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन
- (ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बड़े कम्पोस्टिंग/बायो-मिथेनेशन प्लांटो के जरिए;



RIKHA SIMPH

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा आधारित बिजली संयंत्रों को कचरे के ज्वलनशील अणु के लिए रिपयूज डेराइव्ड ईंधन के रूप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रूप में ईंधन प्रदान करते हुए.

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए।

(पप) नगर निगम रिपयूज डेराइव्ड फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

(पपप) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्ध अनुबंधों की कार्यशर्तों का हिस्सा होगा।

(पअ) नगर निगम सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपडा आदि रीसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियों को भेजा जाए।

9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा-निर्देश:-

(प) नगर निगम सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलों एवं रेस्त्राओं, बैंकवेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(पप) नगर निगम यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडिया अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

(पपप) नगर निगम यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्कों से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्कों और उद्यानों में ही किया जाए।

(पअ) नगर निगम कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य होगा।

अध्याय-7

ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान-

नगर निगम अवशिष्ट कचरे और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरूप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैंडफिल और सम्बद्ध ढाचे का निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव करेगा।

अध्याय-8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क:-


(क) कचरा उत्सर्जकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर निगम द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची-1 में निर्दिष्ट हैं।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर निगम के कर एवं राजस्व अनुभाग अथवा मेयर/नगर निगम द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(ग) नगर निगम इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाएगा।

(घ) नगर निगम ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाएगा।

(ङ) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।



RICHA SINHA

(घ) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बाजए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढ़े पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती तीनवर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ़ जाएगा।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/ व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भाँती वसूल की जायेगी।

12. एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/दंड - (क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप-नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप-नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अधिशासी अभियंता, स्वास्थ्य निरीक्षक, कर अधीक्षक, कर निरीक्षक, सब इन्स्पेक्टर, चौकी, थाना प्रभारी होंगे तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं महापौर सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना/दंड राशि अनुसूचि 2 में दी गई है।

(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 2 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

(ड) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशी भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय-9

प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्व:-

(प) कूड़ा फेंकने पर पाबंदी

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फैलाना : अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूड़ादानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा नहीं फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केंद्रों या सुविधाओं को छोड़कर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नहीं करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नहीं करेगा।

(ख) किसी संपत्ति पर कूड़ा फैलाना : अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूड़ेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूड़ा नहीं डालेगा।

(ग) वाहनों से कूड़ा फेंकना : किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रूप में कोई व्यक्ति किसी गली, सड़क, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा नहीं फेंकेगा।

(घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना : कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नहीं चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सड़क, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें।

(ड) स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी : कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरों द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।



RICHA SENJUM

(घ) नालियों आदि में कचरे का निपटान : कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायो में गंदगी नहीं डालेगा।

(ङ) नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम सीमान्तगत समस्त खाद्य पदार्थ विक्रेताओं (जैसे होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबा इत्यादि)को स्वच्छता/सफाई से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(च) कचरे को जलाना : सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर टोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्ध होगा।

(चप) 'स्वच्छ क्षेत्र' : प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहे। इन स्थानों में फुटपाथ और खुली नालियां/गटर, सड़क किनारा सामिल है, जो किसी भी तरह टोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

(चअ) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रदर्शनियां, सर्कस, मेले, राजनैतिक शैलियां, वाणिज्यक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनों आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग और/या नगर निगम से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करें।

(अ) ऐसे आयोजनों के मामले में आयोजक से नगर निगम द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्ध जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधि में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल करदी गई है। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुंचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नहीं होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर निगम की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हें नगर निगम के सम्बद्ध जोनल अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

(अप) खाली प्लांट पर टोस कचरा डम्प करने और गैर-निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर निगम निम्नांकित ढंग से निपटेगा :-

(क) नगर निगम किसी परिषर के मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर निगम निम्नांकित कार्यवाई कर सकता है :

(प) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (पप) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेगा।

(अपप) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व

(क) डिस्पोजेबल उत्पादों जैसे टिन, काच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर निगम के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारों में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैंड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर निगम को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर निगम इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(ख) ऐसे सभी ब्रैंड मालिकों को, जो गैर-जैव अपघटनीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हें ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैंड मालिक या विपणन कपनियां इस बात की सभादनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादों में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थों का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसे नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।



RICHA SINGH

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैंड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैंपिंग और डिस्पोजल के लिए लोगो को शिक्षित करेगी।

14. नगर निगम के दायित्व :

(प) नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव ससाधन और मशीनें लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुंचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर निगम अपने सफाई स्टाफ और वाहनो के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी-निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगर निगम सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यिक क्षेत्रों की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यकता हों।

(पप) नगर निगम अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रों आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूड़ेदानों का रख रखाव करेगा।

(पपप) नगर निगम विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से टोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सार्वजनिक स्थलों पर बने पेशाबघरों, सार्वजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैंडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानों की निगरानी रख सके।

(पअ) सक्षम प्राधिकारी टोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जिसमें कम से कम अपर नगर आयुक्त या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

(अ) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरूप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर निगम जहां कहीं अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असमर्थ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(अप) नगर निगम अद्यतन सड़क/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

(अपप) नगर निगम सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जकों और अन्य हितभागियों को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड संबंधी प्रावधानों की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

(अपपप) नगर निगम कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्रोत पर ही उपचार करे। नगर निगम विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो-मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनों और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते हैं।

(पग) नगर निगम स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहे सभी पार्को, उद्यानों और जहां कहीं संभव हो अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते हैं।

(ग) नगर निगम टोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हें टोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सके।



RICHA SENOH

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैपिंग और डिस्पोजल के लिए लोगों को शिक्षित करेगी।

14 नगर निगम के दायित्व :

(प) नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीनें लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुंचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर निगम अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी-निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगर निगम सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यिक क्षेत्रों की पहचान करेगा जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यकता हो।

(पप) नगर निगम अथवा उसके द्वारा सलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रों आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूड़ेदानों का रख रखाव करेगा।

(पपप) नगर निगम विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सार्वजनिक स्थलों पर बने पेशाबघरों, सार्वजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैंडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानों की निगरानी रख सके।

(पअ) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जिसमें कम से कम अपर नगर आयुक्त या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

(अ) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुसृत कामिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुवित्तसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर निगम जहां कहीं अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असमर्थ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती है। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(अप) नगर निगम अद्यतन सड़क/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

(अपप) नगर निगम सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जकों और अन्य हितभागियों को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड संबंधी प्रावधानों की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

(अपपप) नगर निगम कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्रोत पर ही उपचार करें। नगर निगम विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो-मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनों और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते हैं।

(पग) नगर निगम स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहे सभी पाकों, उद्यानों और जहां कहीं संभव हो अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते हैं।

(ग) नगर निगम ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वाली) को वरीयता दी जाए ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हें ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें।

भाग 8

व्यक्ति
किए
किएर
उ

रिखा सिन्हा
RICHHA SINHA

(गप) नगर निगम यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताने, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मार्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते हैं और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

(गपप) नगर निगम कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

(गपपप) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैंडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर निगम को रिपोर्ट करेगा, जो रिश्ति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(गपअ) नियमित जांच : महापौर, उपमहापौर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, बुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा है।

(गअ) नगर निगम अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वेब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

(गअप) नगर निगम एसडब्ल्यूएम नियमों और उप-नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मचारियों को उपस्थित दजे करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों/आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाड़ी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।

(गअपप) पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच : अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करेगा।

(गअपपप) नगर निगम एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं किए गये हैं।

अध्याय-10

विविध

15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे महापौर, नगर निगम के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।
16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय : नगर निगम अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र यानियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।
17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप-नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं।

अनुसूची-1

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

1	2	3
क्र स	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क(यूजर चार्ज) रुपये में)
1	प्रति परिवार सामान्य	रु0 60.00
	प्रति परिवार मलिन वस्ती	रु0 40.00
2	ढाबा	रु 100.00
3	रैस्टोरेन्ट	रु 300.00
4	पान स्टॉल/टी स्टॉल/ठेले	रु 50.00
5	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस 20 बेड तक	रु0 300.00
	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस 20 बेड से अधिक	रु0 600.00



RICHA SINOHIA

उत्तराखण्ड गजट, 15 अगस्त, 2020 ई० (श्रावण 24, 1942 शक सम्बत)		(भाग 8)
1	2	3
		रु० 200.00
		रु० 300.00
6	धर्मशाला	रु० 500.00
7	कार्यालय 50 कर्मचारियों तक	रु० 1000.00
	कार्यालय 100 कर्मचारियों तक	रु० 1200.00
	कार्यालय 300 कर्मचारियों तक	रु० 1000.00
	कार्यालय 300 कर्मचारियों से अधिक	रु० 200.00
8	फैक्ट्री	रु० 100.00
	वर्कशाप	रु० 500.00
9	छुकान	रु० 500.00
10	धसनमाहाल	रु० 300.00
11	ब्रेकरी/फूड ज्वाइन्ट ब्रेकरी आउटलेट	रु० 600.00
12	हॉस्टल 1 से 10 कमरों तक	रु० 500.00
	हॉस्टल 10 कमरों से अधिक	रु० 300.00
13	बैंक	रु० 300.00
14	फास्ट फूड	रु० 60.00
15	स्वीट शॉप	रु० 100.00
16	वेजीटेबिल/फल, शब्जी की दुकान	रु० 800.00
17	समस्त सरकारी स्कूल	रु० 1500.00
18	निजीस्कूल कक्षा 1 से 8 तक	रु० 1000.00
19	निजी स्कूल इण्टरमीडिएट तक	रु० 1000.00
20	बार	रु० 500.00
21	बैकहॉल/बरातघरं	रु० 800.00
22	मांस एवं मछली	रु० 1500.00
23	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम 20 बेड तक (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	रु० 2500.00
	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम 21 से 40 बेड तक (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	रु० 5000.00
	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम 41 से 100 बेड तक (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	रु० 500.00
	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम 100 बेड अधिक (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	रु० 500.00
24	क्लीनिक/डेंटल क्लीनिक फिजियोथिरोपी/डायग्नोस्टिक सेंटर (जैसे एक्स-रे, सी.टी.स्केन अल्ट्रासाउण्ड, पैथोलौजी आदि)	रु० 50.00
25	घाय की दुकान	रु० 300.00
26	कबाडी की दुकान	रु० 0.10/प्रति स्कवायर फिट प्रतिदिन/500/-रु० प्रतिदिन जो अधिक हो
27	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी आदि आयोजन जिनसे अपशिष्ट उत्पन्न हो	रु० 300.00
	ढहान और निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट 0.50घन मी० तक	रु० 600.00
	ढहान और निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट 3.0 घन मी० तक	रु० 1500.00
	हान और निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट 6.0 घन मी० तक	रु० 2500.00
28	ढहान और निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट 6.0 घन मी० अधिक पर	रु० 100.00 प्रतिमाह
	गन्ने रस/अन्य जूश विक्रेता	रु० 200.00 से 2000.00 तक
29	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य (प्रतिष्ठान की स्थिति के अनुसार)	उपरोक्त प्रतिमाह सेवा शुल्क(यूजर चार्ज) रुपये में की दरों में प्रति तीनवर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
30		



RICHA SIMON

भाग 8]


उत्तराखण्ड गजट, 15 अगस्त, 2020 ई0 (श्रावण 24, 1942 शक सम्वत्)

237

इस्तेमालकर्ता शुल्क(यूजर चार्ज) / प्रभार का भुगतान नगर निगम द्वारा अधिकृत संस्था / कम्पनी या नगर निगम के कर एवं राजस्व अनुभाग द्वारा मांग जारी होने के 30 दिनों के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क (यूजर चार्ज) / प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से नगर निगम द्वारा अधिकृत संस्था / कम्पनी या नगर निगम के कर एवं राजस्व अनुभाग द्वारा विलम्ब भुगतान / प्रभार लगाया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क(यूजर चार्ज) / प्रभार का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं से बकाये शुल्क की वसूली भू-राजस्व की भाँति नगर निगम के कर एवं राजस्व अनुभाग द्वारा की जायेगी।

अनुसूची-2
जुर्माना / दंड

क्र स	नियम / उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
1	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौंपने में विफल रहना	आवासीय	100
			बल्क जन्नेटर	500
			5000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह / पार्टी हाल, फोस्टिवल हाल पार्टी लान प्रदर्शनी और मेले स्थल	10000
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लब सिनेमाघर पब्स सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्स और अन्य	5000
			ऐसे स्थान 5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर-आवासीय स्थान	500
			फिस, मीट विक्रेता द्वारा कूड़े को पृथक्करण तरीके से न रखना	800
2	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)	1 सड़क / गली में कूड़ा फेंकना, धूकना	उत्थनकर्ता	200 से 5000 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना, एवं धूकना प्रतिबंध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी।
		2. नहाना, पेशाब करना जनयरो को चारा खिलाना, कपड़े धोना वाहन धोना, गोबर नाली में बहाना		500
2	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ख) और (घ)	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	100
			गैर-आवासीय / बल्क जन्नेटर	500



RICHA SINGH

238


उत्तराखण्ड गजट, 15 अगस्त, 2020 ई० (श्रावण 24, 1942 शक सम्वत्)

[भाग 8

3	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	500
			गैर-आवासीय/बल्क जनेरेटर	5000
4	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ड).	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	5000 से 20000
5	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या योजना सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	10,000
6	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/वेन्डर कूड़ादान न रखने एवं कूड़े को पृथक्करण न करने, अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	200
7	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2) 15(घ)	सार्वजनिक स्थलों सड़कों गलियों आदि में गदगी फैलाना/कुत्ते/ अन्य जानवरों द्वारा मल त्याग/उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	500

निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा

8	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)	नियमों के अनुसार कचरे के निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर. डब्ल्यू.ए	5000
			बजार एसोसिएशन, संघ	10,000
9	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	5000
			संस्थान	10000
10	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल	10000
			रेस्टोरेंट	5000
11	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2)	उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन	विनिर्माता और/या ब्रॉड ऑनर/स्वामी	50000
12	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणनकंपनिया	25000



RICHHA SENOH

भाग 8]

उत्तराखण्ड गजट, 15 अगस्त, 2020 ई0 (श्रावण 24, 1942 शक सम्वत्)

239

13	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15(ड)	नियमों के उपाय करने भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता, गुप हाउसिंग सोसाइटी या मॉर्कट काम्पलेक्स-आदि	25000
14	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग)	गलियो पहाडियो सार्वजनिक स्थलों में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोप्ट ड्रिंक कैन, टेट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट का फेंकने पर	उल्लंघनकर्ता / पर्यटक / वाहन / चालक	500
15	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ)	नगर निगम की उप विधि का होटल/अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता / होटल / अतिथिग्रह स्वामी	500
16		सार्वजनिक सभाओं जलूस प्रदर्शनियों, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलिया, वाणिज्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)	आयोजनकर्ता	5000

चन्द्र सिंह मर्तोल्या,
नगर आयुक्त,
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 हिन्दी गजट / 201-भाग 8-2020 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



RICHA SINHA

कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदा

नैनीताल रोड, हल्द्वानी पिन कोड- 263139

(www.Nagarnigamhaldwani.in) toll free no- 8882610000

E-Mail- haldwaninagarnigam@gmail.com दूरभाष- 05946-22003

पत्राक :- 1747

दिनांक :- 11/10/2022


कार्यालय आदेश

नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत नगर को स्वच्छ, सुन्दर, एवं पालिथीन मुक्त बनाने हेतु स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से निम्न कार्य किये जाने प्रस्तावित है।

- 1-नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम द्वारा DAY-NULM योजनान्तर्गत गठित क्षेत्र स्तरीय संघो (ALF) तथा स्वयं सहायता समूहो (SHG) द्वारा नगर निगम के प्रत्येक वार्ड को गोद लेकर उनमें सफाई व्यवस्था की निगरानी करना, पालिथीन का उपयोग बन्द कराना, यत्र तत्र फैली हुई पालिथीन को एकत्रित कराकर वार्ड में कहीं पर भी डम्प कुड़े की सूचना उपलब्ध करायेगे। उसका निस्तारण नगर निगम हल्द्वानी द्वारा संचालित वाहनों के माध्यम से कराया जाना शामिल है।
- 2-प्रत्येक स्वयं सहायता समूह अपने आवाटिक वार्ड में स्थित विद्यालयों के छात्र, छात्राओं के साथ वार्ड में स्वच्छता कार्यक्रमों, पालिथीन का उपयोग न करने हेतु जन जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करेंगे तथा विद्यालयों में स्वच्छता, पालिथीन उन्मूलन हेतु जागरूक करेंगे।
- 3-स्वयं सहायता समूहों के कार्य की निगरानी, सहयोग एवं डाटा मैनेजमेंट हेतु एक प्रोजेक्ट मैनेजर तथा सूचनाएं संगठित करने हेतु एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को नियुक्त किया जायेगा। उपरोक्त कार्य हेतु अनुभवी कार्मिकों का चयन आउट सोर्स के माध्यम से होगा।
- 4- स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपने आवाटिक वार्ड में नगर निगम द्वारा नियुक्त स्वच्छता समितियों, कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण कर मूल्यांकन करेंगे तथा मूल्यांकन की रिपोर्ट प्रोजेक्ट मैनेजर के माध्यम से प्रत्येक 15 दिनों में नगर आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करेंगे।
- 5- नगर निगम स्थित 60 वार्डों हेतु प्रति वार्ड एक स्वयं सहायता समूह को आवाटिक वार्ड में युजर चार्ज एकत्रित करने हेतु 1 वर्ष के लिये अधिकृत किया जाता है। जिसमें स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन धनराशी के रूप में प्रतिमाह वार्ड से एकत्रित युजर चार्ज का 25 प्रतिशत धनराशी दी जायेगी वार्ड के प्रत्येक परिवार का पंजीकरण करना उपलब्ध कराये गये स्टीकर को चरपा करने का कार्य भी किया जायेगा। एक वार्ड में एक से अधिक स्वयं सहायता समूह के आवेदन करने पर चयन साक्ष्यकार पद्धति द्वारा किया जायेगा।
- 6- स्वयं सहायता समूहों हेतु उपरोक्त कार्य को किये जाने हेतु आवेदन पत्र कार्यालय नगर निगम के सूडा अनुभाग कमरा न. 34 में कु.अर्चना सामुदायिक संगठनकर्ता से प्राप्त किया जा सकता है। जिसे दिनांक 14.10.2022 सांय 3 बजे तक जमा किया जा सकता है। तत्पश्चात उसी दिन चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।




नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी, काठगोदाम



मा. महापीर
नगर निगम हल्द्वानी, काठगोदाम


प्रतिलिपि:

- 1.समस्त सामुदायिक संगठनकर्ता को इस आश्रय से प्रेषित की नगर निगम हल्द्वानी द्वारा गठित समस्त स्वयं सहायता समूहों को सूचित करना सुनिश्चित करे।
2. नगर निगम हल्द्वानी, काठगोदाम सूचनापट पर चरपा किये जाने हेतु।





नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी, काठगोदाम


RICHHA SINHA



कार्यालय नगरनिगमहल्द्वानी-काठगोदाम

नैनीताल रोड, हल्द्वानी पिन कोड- 263139

(www.Nagarnigamhaldwani.in)toll free no- 8882610000

E-Mail- haldwaninagarnigam@gmail.com दूरभाष- 05946-220035



पत्रांक 267

दिनांक 05-5-25

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

विषय- कूड़ा एकत्रीकरण हेतु 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

अवगत कराना है कि नगर निगम हल्द्वानी के गौला रौखड़, गौला बाय पास रोड, हल्द्वानी स्थित ट्रचिंग ग्राउंड में नगर निगम हल्द्वानी - काठगोदाम के साथ ही नगर पालिका परिषद् नैनीताल, भीमताल, भवाली, नगर पंचायत लालकुआ, जिला पंचायत नैनीताल तथा मंडी समिति का कूड़ा भी निरंतर डंप किये जाने से उक्त भूमि पर स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट हेतु भूमि रिक्त नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस निरंतर आने वाले कूड़े को अन्यत्र एकत्र किये जाने हेतु 10 एकड़ भूमि की नगर निगम को आवश्यकता है। जिस कारण आपसे अनुरोध है आप नगर निगम हल्द्वानी - काठगोदाम, नगर पालिका परिषद् नैनीताल, भीमताल, भवाली, नगर पंचायत लालकुआ, जिला पंचायत नैनीताल तथा मंडी समिति के निरंतर आने वाले इस कूड़े के एकत्रीकरण हेतु नगर निगम हल्द्वानी को 10 एकड़ भूमि हल्द्वानी या निकट में चिन्हित कर शीघ्र उपलब्ध करवाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

भवदीय

[Signature]

नगर आयुक्त

नगर निगम हल्द्वानी -काठगोदाम



[Signature]

RICHA SINHA




Annexure No. A-7

(572)



RICHA SINGH



Haldwani, Uttarakhand, India
S3, Thandi Sadak, Subhash Nagar, Bhotia
Parao, Haldwani, Uttarakhnad 263139, India
Lat 29.230045° Long 79.53159°
05/06/2025 04:46 PM GMT +05:30



GPS Map Camera



Annexure No. A-8

(58)

RICHA SINGH



504

08 April 2025 3:24 pm

DIGHA SINGH


Handwritten signature



Annexure No A 9

59

Handwritten mark



Check In

Google

Nainital, Uttarakhand, India

Flixbus Haldwani - Honda Showroom,

Rampur, Uttarakhand 263139, India, Nainital,

Uttarakhand 263139, India

Lat 29.196627° Long 79.523896°

05/06/2025 08:59 AM GMT +05:30



GPS Map Camera



Ameyur No 4-10

RICHA SINGH





NOTARY
 M. S. BISHT
 Notary Haldwani
 Distt Nainital India
 R. No 22 (10)/2006
 GOVT. OF UTTARAKHAND (NAINITAL)

12/1

RICHA SINGH

Annexure No. A-11

61

Google

GPS Map Camera

Haldwani, Uttarakhand, India
 6G58+875, Haldwani, Uttarakhand 263139, India
 Lat 29.208083°
 Long 79.515655°
 22/09/24 09:19 AM GMT +05:30



Google

Check In

Haldwani, Uttarakhand, India
 S3, Thandi Sadak, Subhash Nagar, Bhotia
 Parao, Haldwani, Uttarakhand 263139, India
 Lat 29.230045° Long 79.53159°
 05/06/2025 04:46 PM GMT +05:30



GPS Map Camera



Amr prax No. A-12

RICHA SINDHI



IN-UP78853680439887V

Government of Uttar Pradesh




e-Stamp

Signature: Mohit Kumar
Acc Name: Mohit Kumar
Acc Code: UP 1401404
Address: Sector-22, Noida Mob: 9950985061
Pincode: 201 101 Tehsil: Dadri G.B. Nagar U.P.

Certificate No.	: IN-UP78853680439887V
Certificate Issued Date	: 22-Nov-2023 11:27 AM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14014104/ GAUTAMBUDDH NAGAR 1/ UP-GBN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1401410453445420231770V
Purchased by	: NTPC VIDYUT VYAPAR NIGAM LTD
Description of Document	: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: NTPC VIDYUT VYAPAR NIGAM LTD
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: NTPC VIDYUT VYAPAR NIGAM LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)

IN-UP78853680439887V 22-Nov-2023 11:27 AM NTPC VIDYUT VYAPAR NIGAM LTD SUBIN-UPUP1401410453445420231770V NTPC VIDYUT VYAPAR NIGAM LTD 100 (One Hundred only)



Please write or type below this line

Memorandum of Understanding

This Memorandum of Understanding ("MOU") is made and entered into on 30th day of November 2023 between:

NVVN (NTPC Vidyut Vyapar Nigam Ltd.); a wholly owned subsidiary of NTPC Ltd; duly registered under the Companies Act, 1956 and having its Registered Office at NTPC Bhawan, Core 7, SCOPE Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003, INDIA, (herein after referred to as "NVVN", which expression shall mean and include unless repugnant to the context, its successors, and permitted assigns), of the **FIRST PART.**

AND

NAGAR NIGAM HALDWANI KATHGODAM, is the civic body that governs the city of Haldwani in Uttarakhand, India and having its office at Nagar Nigam , Nainital Road , Haldwani, Uttarakhand 263139 (hereinafter referred to as "NNHK"), which expression shall, unless the context otherwise specifies, means and include its successors and permitted assigns on the **SECOND PART.**

Handwritten signature



Handwritten signature
नगर आयुक्त
नगर निगम, कलकानी-काठगोदाम

Statutory Alert:

- The authenticity of this Stamp certificate should be verified on the website www.indianstamp.com or using e-Stamp App of Stock Holding Corporation of India.
- Any discrepancy in the details on this Certificate and on the website or on the website's Mobile App should be reported to the issuer of the certificate.
- The responsibility of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

Handwritten initials

RICHA SENGM

IN-UP78853680439887V 22-Nov-2023 11:27 AM NTPC VIDYUT VYAPAR NIGAM LTD SUBIN-UPUP1401410453445420231770V NTPC VIDYUT VYAPAR NIGAM LTD 100 (One Hundred only)

"Party" shall mean NVVN or NNHK individually. "Parties" shall mean NVVN and NNHK collectively.

This MOU between Nagar Nigam Haldwani-Kathgodam (NNHK) and NVVN is for setting up a Municipal Solid Waste (MSW) to Torrefied Charcoal Plant Facility in Haldwani, Uttarakhand.

WHEREAS;

1. NNHK expressed its interest in setting up a MSW to Torrefied Charcoal Plant facility based on Torrefaction technology at Haldwani to dispose of the carbonaceous component of MSW.
2. NVVN shall develop a MSW to Torrefied Charcoal plant on Build Own Operate (BOO) basis at a land allocated by NNHK free of cost.
3. NVVN shall have the ownership and right to sell all the products generated from the said plant.
4. NVVN shall have the right to use the Site for "Setting up a 500 TPD, MSW to Torrefied Charcoal plant facility" and its ancillary facilities including rooftop solar plant to meet the power requirement of the plant.
5. The other agreements like MSW Supply Agreement and Land Use Agreement between NVVN and NNHK shall be signed later on with major obligations summarized as under:

A. Obligations of NNHK:

- I. NNHK shall provide approx. 10 acre suitable land free of cost for the project along with boundary wall. The land should be free from water logging, above high flood level, and free from encumbrance.
- II. NNHK shall ensure delivery of preferably pre-segregated Municipal Solid Waste (MSW) at designated Waste Tipping Floor of plant premises free of cost.
- III. NNHK shall ensure that at least 500 MT preferably segregated MSW is delivered daily to the plant.
- IV. The delivered MSW shall not include inerts and prohibited items specifically mentioned in Annexure-I so as to ensure a minimum GCV of 2000 kcal/kg. NNHK shall provide preferably segregated dry waste to the extent possible.
- V. NNHK shall also provide other basic amenities at the project site like All-weather approach road from existing road to plant boundary of minimum width 7.0 m, street lighting on approach road and outside plant premises, sewer line, Right of Way, drainage outside plant premises, and other basic facilities, etc.



नगर आयुक्त
नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम

RICHA SINGH

- VI. NNHK shall provide water supply connection for drinking water usage during plant construction and operation period. Additionally, NNHK shall provide ~50 KLD of preferably treated STP water for construction activities and ~200 KLD of preferably treated STP water for process application during the O&M period, within the plant battery limit.
- VII. NNHK shall provide power connection of ~2 MVA (min. 11 kVA) and ~150 kW for Construction Power within plant battery limit. The plant machinery shall be powered by this connection on a pay-per-use basis.
- VIII. Development and maintaining of green belt (as applicable) other than 10 acre for plant facility shall be in the scope of NNHK.
- IX. Diversion of any Electric Line passing through the proposed project site, cutting down the trees existing on the proposed site (if any) and their disposal and diversion of Forest Land (if any) before handing over the site to NVVN shall be done by NNHK.
- X. NNHK shall obtain Environment Clearance (if applicable).
- XI. NNHK shall take back the unutilized contents of MSW (Inert and process rejects) for safe disposal at its own cost.
- XII. Development and maintaining Scientific Land Fill facility (as applicable) shall be in the scope of NNHK. The Scientific Land Fill should not be in an adjacent area of the said MSW project.
- XIII. The concession period of the project shall be 30 years initially. This may be extended further on similar terms and conditions with mutual consent of both the parties.

B. Obligations of NVVN:

- I. NVVN shall set up a MSW to Torrefied Charcoal Plant on Build Own Operate (BOO) basis at a land allocated by NNHK.
- II. EPC of MSW to Torrefied Charcoal Plant Facility including installation and commissioning.
- III. Smooth Operation & Maintenance of plant through deployment of third-party O&M contractor for 25 years.
- IV. Utilization of approx. 500 MT per day of MSW everyday while complying with CPCB guidelines.
- V. Generating High Calorific Value Fuel similar to the nature of Mineral Coal for Co-firing in thermal power plants or nearby process industries.



Whom




[Signature]




नगर आयुक्त
नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम

[Signature]
RICHMA SIMUJH

- VI. NVVN shall have the ownership and right to sell all the products and by-products generated from the said plant including revenue from Carbon Credits, if any.
- VII. The proposed plant shall comply with the latest environmental norms.

The above is a non-binding MOU. However, both NVVN and NNHK shall enter into a legally binding agreement, subject to the approval of the respective management.

For and on behalf of :- NVVN Limited, New Delhi	For and on behalf of :- Nagar Nigam Haldwani-Kathgodam
Authorized Signatory 	Authorized Signatory  नगर आयुक्त नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम
Name: Ms. Renu Narang	Name: Sh. Pankaj Kumar Upadhaya
Designation: Chief Executive Officer	Designation: Municipal Commissioner
Contact Address: 5th Floor, EOC Complex, NTPC Ltd., A-8A, Sector 24, Noida, Uttar Pradesh 201307	Contact Address: Nagar Nigam, Nainital Road, Haldwani, Uttarakhand 263139

Witnesses	
1.  Dr. Jogendra Pal Singh Rautela MAYOR Municipal Corporation Hld-Kgm	
2.  Himanshu Phuloria	Engineer - NI(WTE) NVVN Ltd.




RICHHA SENOTTA

Annexure-I

List of Banned Items in the Waste:-

- Construction & Demolition Waste
- Anatomical Hospital Waste
- Asbestos
- Bio Hazardous Waste
- Electronic Scrap / E Waste
- Battery Waste
- Explosives
- Waste free from Trace Elements and Heavy Metals i.e. Cyanide, Arsenic etc.
- Mineral Acids
- Radioactive Waste



नगर आयुक्त
नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम



RECHA SINGH

हल्द्वानी-रुद्रपुर क्लस्टर SWM सोसाइटी (HRCSWMS)
(नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम)

पत्रांक-107/SWM

दिनांक-27/01/2025

कायदेश

MS Environmental Techno ,
G-7, Shanti Niketan Apartment ,
Church Road ,Lajpat Kunj ,
Agra-282002(U.P.),India

Bioremediation, Waste Clearance, Resource Recovery, and Scientific Disposal Services in Compliance with the Legacy Waste Management Rules of 2019 and the SWM Rules of 2016 at Haldwani (Nainital) Uttarakhand कार्य हेतु कार्यालय पत्रांक 105 दिनांक 30/11/2024 द्वारा जारी E-Tender Notice (tender reference No. 100/2024-25 SWM RFP , Tender ID - 2024_ MCNNK_76409_2 .) के क्रम में दिनांक 09/01/2025 को खोली गई वित्तीय निविदाओं में आपके (MS Environmental Techno BID ID-349982) द्वारा प्रस्तुत दर रु. 495/- (धनराशि 68805000/-) न्यूनतम होने से आपकी निविदा स्वीकार की जाती है ।

अतः आप इस हेतु आवश्यक परफोर्मेंस गारंटी इस कार्यालय में 07 दिवसों के भीतर उपलब्ध कराते हुए रजिस्टर्ड अनुबंध की कार्यवाही कर अपनी सेवाए प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें ।

नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम
सदस्य सचिव, एकजीक्युटिव कमेटी, HRCSWMS

प्रतिलिपि-1 - निदेशक शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड देहरादून ।

2- प्रशासक महोदया नगर निगम हल्द्वानी- काठगोदाम/जिलाधिकारी नैनीताल ।

3-वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी /सहायक लेखाधिकारी / सहायक अभियंता नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम
सदस्य सचिव, एकजीक्युटिव कमेटी, HRCSWMS


27-1-2025




RICHHA SINHA




कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम

नैनीताल रोड, हल्द्वानी पिन कोड- 263139

(www.Nagarnigamhaldwani.in)toll free no- 8882610000

E-Mail- haldwaninagarnigam@gmail.com दूरभाष- 05946-220035



दिनांक- 9/9/24

पत्रांक- 1541

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी हल्द्वानी।

विषय- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम से सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट (वर्ष 2023-24) निर्धारित प्रारूप में भरकर इस पत्र के साथ सलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करेंगे।

नगर आयुक्त

नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम

प्रतिलिपि- उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ईमेल ukpcbpm@yahoo.com)।

नगर आयुक्त

नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम



RIJHA SINGH

प्रारूप-IV

(नियम 15 (यक), 24(2) देखें)
स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिए टोस अपशिष्ट प्रबन्धन सम्बन्धी
वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप

कलेंडर वर्ष	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख
2023-24	


1	शहर/नगर का नाम	हल्द्वानी-काठगोदाम
2	जनसंख्या	280604
3	क्षेत्रफल वर्ग किलो मीटर में	42.59 वर्गकि०मी०
4	स्थानीय निकाय का नाम व पता दूरभाष सं० फैक्स ई-मेल	नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम, नैनीताल रोड हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखण्ड पिन-263139 05946-220035 05946-221512 Haldwaninagarnigam@gmail.com
5	टोस अपशिष्ट प्रबन्धन(वेस्टम) से सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी नाम	डॉ० मनोज काण्डपाल - मो०न० 9410119773 05946-220035 05946-221512 Haldwaninagarnigam@gmail.com
6	शहर/नगर के परिवारों की संख्या शहर में गैर आवासीय परिसरों की संख्या शहर/नगर में चुनाव/प्रशासनिक वार्डों की संख्या	53962 6939 60
7	टोस अपशिष्ट की मात्रा	
	प्रतिदिन स्थानीय निकाय के क्षेत्र में उत्पन्न टोस अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा मीट्रिक टन में	150/टीपीडी
	प्रतिदिन संग्रहित टोस अपशिष्ट की मात्रा	150/टीपीडी
	प्रतिदिन संग्रहित व्यक्ति अपशिष्ट	400 ग्राम
	प्रससंकृत टोस अपशिष्ट की मात्रा	शून्य
	मलवा स्थल/भरण स्थल पर निपटान किये गये टोस अपशिष्ट की मात्रा	शून्य
8	टोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवा की स्थिति	
	स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण और मण्डारण	42 वार्डों में
	क्या घरेलू/वाणिज्यिक/संस्थागत बिनों में स्रोत पर टोस अपशिष्ट का मण्डारण किया जाता है, यदि हां	हाँ
	घरेलू बिनों में स्रोत पर अपशिष्ट के मण्डारण की घरेलू रीति की प्रतिशतता	100 प्रतिशत
	वाणिज्यिक/संस्थागत बिनों में स्रोत पर अपशिष्ट को गैर आवासीय परिसरों में मण्डारण करने की प्रतिशतता	100 प्रतिशत
	गलियों में घरों के टोस अपशिष्ट का निपटान करने या फेंकने की प्रतिशतता	100 प्रतिशत
	गलियों में गैर आवासीय परिसरों के टोस अपशिष्ट का निपटान करने या फेंकने की	100 प्रतिशत



[Handwritten Signature]

RICHA SIMONH


प्रतिशतता					
ठोस अपशिष्ट का घर घर जाकर संग्रहण	100 प्रतिशत				
क्या शहर/नगर में ठोस अपशिष्ट का घर घर जाकर संग्रहण किया जाता है।	हाँ				
यदि हाँ, अपशिष्ट के घर घर जाकर संग्रहण किये जाने में शामिल वार्डों की संख्या	60				
शामिल किये गये घरों की संख्या	53962				
शामिल किये गये वाणिज्यिक संस्थापनाओं, होटलों, रेस्ताराओं, शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालय इत्यादि सहित गैर आवासीय परिसरों की संख्या	6939				
निम्न के माध्यम से घर घर जाकर संग्रहण किये जाने में आवासीय और गैर आवासीय परिसरों की प्रतिशतता	100 प्रतिशत				
मोटरकृत वाहन	0 प्रतिशत				
कंटेनरकृत तिपहिया साईकिल/हैंडकार्ट	0 प्रतिशत				
अन्य साधन	0 प्रतिशत				
यदि नहीं तो संग्रहण में अपनाई गई प्राथमिक पद्धति	-				
गलियों में झाड़ू लगाया जाना	वर्तमान में नगर के सभी 60 वार्डों में गलियों में झाड़ू लगाई जा रही है।				
शहर में सड़को, गलियों, लेनों, बाईलेनों की लम्बाई जिनकी सफाई किये जाने की आवश्यकता है।	0 (शून्य)				
गली में झाड़ू लगाये जाने की बारबारता और लाभन्वित जनसंख्या की प्रतिशतता		बरंबारता	रोजाना	एकान्तर दिवस पर	सप्ताह में दो बार
		100 प्रतिशत	हाँ	-	-
					कभी-कभी
प्रयुक्त साधन	100 प्रतिशत				
हाथ से झाड़ू लगाया जाना	0 प्रतिशत				
यांत्रिक रूप से झाड़ू लगाया जाना					
क्या सफाई कर्मचारी द्वारा लंबी हैंडल वाले झाड़ू का प्रयोग किया जाता है।	हाँ				
क्या प्रत्येक सफाई कर्मचारी को अपशिष्ट का संग्रहण करने के लिए हैंडकार्ट/तिपहिया साईकिल दी जाती है।	हाँ				
क्या हैंड कार्ट/तिपहिया साईकिल में कंटेनर लगा है	हाँ				
क्या संग्रहण का साधन प्रयोग किये गये संग्रहण/अपशिष्ट भण्डारण के कनेटरों समकालिक हैं	हाँ				
द्वितीयक अपशिष्ट भण्डारण सुविधाएं					
शहर/नगर में अपशिष्ट भण्डारण डिपो की संख्या और प्रकार	संख्या	क्षमता घन मी० में			
खुले अपशिष्ट भण्डारण स्थल	01	400000 घ०मी०			
चिनाई किये गये विन	0	0			
सीमेंट कंक्रीट सिलींडर के विन	0	0			



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
RICHHA SENUPH


ढलाव/ढके हुए कक्ष/स्थान ढके हुए धतु/प्लास्टिक के कंटेनर 1.1 घन मी0 तक के बिन 2 से 5 घ0मी0 के बिन 5 घ0मी0 से बडे कंटेनर बिन रहित शहर	04 8 0 0 0	300 घ0मी0 19.8 घ0मी0 - 0 0
बिन/जनसंख्या अनुपात	13/280604	
अपशिष्ट भण्डारण डिपो का वार्ड वार विवरण (सलग्न करें) वार्ड सं0: क्षेत्रफल: जनसंख्या रखे हुए बिनों की संख्या रखे गये बिनों का कुल आयतन	सम्पूर्ण नगर में कुल 06 स्थलों पर अपशिष्ट भण्डारण डिपो बनाये गए है ।	
अपशिष्ट भण्डारण सुविधाओं की कुल भण्डारण क्षमता घन मी0	400331.8 घ0 मी0	
अपशिष्ट भण्डारण डिपों में प्रतिदिन वारतविक रूप से मण्डारित कुल अपशिष्ट		
डिपो से अपशिष्ट के संग्रहण की बारवारता बतायें	बरवारता	बिनों की संख्या
साफ किये गये बिनों की संख्या	प्रतिदिन	12
	एकांतर दिवस	-
	सप्ताह में दो बार	-
	सप्ताह में एक बार	-
	कभी-कभी	-
क्या भण्डारण डिपो में पृथक्कृत अपशिष्ट को हरे, नीले और काले बिनों में भण्डार करके रखने की सुविधा है।	नही (यदि हों तो विवरण दें) हरे बिनों की संख्या नीले बिनों की संख्या काले बिनों की संख्या	
भण्डारण डिपो से ठोस अपशिष्ट उठाने का कार्य हाथ से किया जाता है या यांत्रित तरीके से ? प्रतिशत बतायें	0 प्रतिशत	
ठोस अपशिष्ट को हाथ से उठाये जाने की प्रतिशतता	100 प्रतिशत	
यांत्रिक तरीके से उठाने की प्रतिशतता	टॉप लोडर	
यदि यांत्रिक है तो प्रयुक्त पद्धति का स्पष्ट उल्लेख करें।		
क्या ठोस अपशिष्ट को घर घर से उठाया जाता है और पृथक् कर स्वरूप में सीधे सोधन संयंत्र तक भेजा जाता है।	हाँ (ठोस अपशिष्ट को घर घर से उठाया जाता है लेकिन वर्तमान में नगर निगम के पास सोधन संयंत्र न होने के कारण अपशिष्ट को टेचिंग ग्राउण्ड में डाला जाता है)	
प्रतिदिन अपशिष्ट का परिवहन प्रयोक्त किये गये वाहनों का प्रकार और संख्या	आपशिष्ट का परिवहन करने में लगाये गये फेरों की संख्या- 01	
पशु गाड़ी	01	
टैक्टर नॉन टिपिंग ट्रक	02	
टिपिंग ट्रक	42	
डम्पर फ्लेसर	01	



(Signature)

1/11/17
RICHMA SINGH

अवशिष्ट संग्रहक कॉम्पेक्टर अन्य जे०सी०वी०-लोडर	405 05 02	
अपशिष्ट के परिवहन की बारबारता	बारबारता	परिवहन किये गये अपशिष्ट का प्रतिशत
	प्रतिदिन एकांतर दिवस पर- सप्ताह में दो बार- सप्ताह में एक बार- कभी-कभी -	100 प्रतिशत
प्रत्येक दिन परिवहन किये गये अपशिष्ट की मात्रा	150/टीपीडी	
प्रतिदिन परिवहन किये गये कुल अपशिष्ट की प्रतिशतता	100 प्रतिशत	
प्रयोग की गई अपशिष्ट सोधन प्रौद्योगिकियाँ	-	
क्या ठोस अपशिष्ट का प्रशसकरण किया गया है।	नहीं	
यदि हाँ तो प्रतिदिन प्रशसकरण किये गये अपशिष्ट की मात्रा	शून्य	
क्या सोधन का कार्य स्थानीय निकाय या किसी अभिकरण के माध्यम से किया जाता है	-	
अपशिष्ट प्रशसकरण के लिए स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध भूमि (हे० में)	04 हे०	
अपशिष्ट प्रशसकरण के लिए वर्तमान में प्रयुक्त भूमि	कोई नहीं	
प्रचालन रत ठोस अपशिष्ट प्रशसकरण सुविधायें	वर्तमान में उपलब्ध नहीं	
निर्माणधीन ठोस अपशिष्ट प्रशसकरण सुविधायें	एन.टी.पी.सी. विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा एस. डब्लू.एम्. प्लांट / Development of Municipal Solid Waste to Torrefied Charcoal Plant Facility(Capacity-500 TPD) स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रक्रिया गतिमान है ।	
शहर/नगर की सीमा से प्रशसकरण सुविधाओं की दूरी	वर्तमान में प्रशसकरण सुविधा उपलब्ध नहीं	
अपनाई गई प्रौद्योगिकियों का विवरण	वर्तमान में कोई नहीं	
कम्पोस्टिंग	प्रशसकरण की गई कच्ची सामग्री की मात्रा- शून्य उत्पन्न किये गये अंतिम उत्पात की मात्रा- शून्य बेची गई मात्रा- शून्य भरण स्थल में डाले गये शेष अपशिष्ट की मात्रा- शून्य	
वर्मी कम्पोस्टिंग	प्रशसकरण की गई कच्ची सामग्री की मात्रा- शून्य उत्पन्न किये गये अंतिम उत्पात की मात्रा- शून्य बेची गई मात्रा- शून्य भरण स्थल में डाले गये शेष अपशिष्ट की मात्रा- शून्य	
बायो-मिथेनेशन	प्रशसकरण की गई कच्ची सामग्री की मात्रा- शून्य उत्पन्न किये गये अंतिम उत्पात की मात्रा- शून्य बेची गई मात्रा- शून्य भरण स्थल में डाले गये शेष अपशिष्ट की मात्रा- शून्य	



RICHA SINGH

अवशिष्ट जनित ईधन	प्रशसकरण की गई कच्ची सामग्री की मात्रा- शून्य उत्पन्न किये गये अंतिम उत्पात की मात्रा- शून्य वेची गई मात्रा- शून्य भरण स्थल में डाले गये शेष अपशिष्ट की मात्रा- शून्य
सह-प्रशसकरण	प्रशसकरण की गई कच्ची सामग्री की मात्रा
सीमेंट संयंत्र को आपूर्तित दहनशील अपशिष्ट	शून्य
टोस अपशिष्ट आधारित विद्युत संयंत्रों को आपूर्तित दहनशील अपशिष्ट	शून्य
अन्य	शून्य
टोस अपशिष्ट निपटान सुविधायें	वर्तमान में टेचिंग ग्राउण्ड में नगर से एकत्रित अपशिष्ट को डाला जा रहा है तथा कम्पोस्ट एवं प्रोसेसिंग प्लान्ट निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया गतिमान है।
स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध मलवा स्थलों की संख्या	शून्य
स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध स्वास्थ्यकर भरण स्थलों की संख्या	शून्य
अपशिष्ट के निपटान हेतु उपलब्ध ऐसे प्रत्येक स्थल का क्षेत्रफल	-
अपशिष्ट के निपटान के लिए वर्तमान में प्रयुक्त भूमि का क्षेत्रफल	4 है०
शहर/नगर से मलवा स्थल/भरण सुविधा की दूरी	-
निकटतम बसावत से दूरी	-
जल निकाय से दूरी	-
राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग से दूरी	-
विमानपतन से दूरी	-
महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों या ऐतिहासिक स्मारक से दूरी	-
क्या यह बाढ़ सम्भावित क्षेत्र में पड़ता है।	-
क्या यह भूकम्प सम्भावित क्षेत्र में पड़ता है।	-
प्रत्येक दिन भरण में डाले गये अपशिष्ट की मात्रा	-
क्या भरण स्थल को घेरा गया है	-
क्या स्थल पर रोशनी की सुविधा उपलब्ध है	-
क्या धर्मकांटा सुविधा उपलब्ध है	-
भरण स्थल पर प्रयुक्त वाहन और उपकरण(स्पष्ट करें)	-
भरण स्थल पर नियोजित जनशक्ति	-
क्या ढकने का काम दैनिक आधार पर किया जाता है।	-
यदि नहीं तो भरण स्थल पर जमा अपशिष्ट को ढकने की बारबारता	-
ढकने के लिए प्रयुक्त सामग्री	-
क्या ढकने की प्रयोक्त सामग्री उपलब्ध है	-
क्या गैस निकलने की व्यवस्था की गई है।	-
निकालन संग्रहण का प्रावधान	-

1/11/11

अक्षय ..



रिचा
RICHHA SINGH

9	क्या शहर में में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पद्धतियों में सुधार लाने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है।	वर्तमान में नगर से एकत्रित कूड़ा वन विभाग से लीज पर नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम को प्राप्त 4 हे० वन भूमि पर डाला जा रहा है तथा कूड़ा निस्तारण हेतु एन.टी.पी.सी. विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा एस. डब्लू.एम्. प्लांट / Development of Municipal Solid Waste to Torrefied Charcoal Plant Facility(Capacity-500 TPD) स्थापित किये जाने हेतु Memorandum of Understanding (M.O.U.) नगर निगम हल्द्वानी - काठगोदाम तथा एन.टी.पी.सी. विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड के मध्य किया गया है। इसके अतिरिक्त नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम की पुरानी डंप साईट / वन भूमि (जो कि अब उपयोग में नहीं है) पर एकत्रित लीगेसी वेस्ट निस्तारण करवाए जाने हेतु आर .एफ़. पी तैयार करवाई गई है। जिससे सम्बंधित निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु प्रक्रिया गतिमान है।
10	निम्न के लिए कौन से पृथक प्रावधान किये गये हैं डेयरी से सम्बंधित कार्यकलाप: बूचड़खने का अपशिष्ट: निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट(निर्माण मलवा)	नही
11	परच संवृति योजना का विवरण	योजना संलग्न करें
12	कितनी मलिन वस्तियों का निर्धारण किया गया है और क्या इनमें ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधायें उपलब्ध कराई गई है:	11 मलिन वस्तियों का निर्धारण किया गया है। हाँ (डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन गलियों/सड़कों इत्यादि की सफाई)
13	कृपया विवरण दें: गली में झाड़ू लगाने, अपशिष्ट के द्वितीय भण्डारण, परिवहन, प्रशासकरण और निपटान सहित संग्रहण के लिए स्थानीय निकाय की स्वयं की जनशक्ति	1051
14	कृपया विवरण दें: गली में झाड़ू लगाने, अपशिष्ट के द्वितीय भण्डारण, परिवहन, प्रशासकरण और निपटान सहित संग्रहण के लिए टेकेदारी/रियायतग्राही की नियोजित जनशक्ति	0
15	इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने में स्थानीय निकाय द्वारा महसूस की जा रही कठिनाईयों का संक्षेप उल्लेख करें	तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारियों/कर्मचारियों का आभाव
16	ठोस अपशिष्ट से सम्बंधित समस्या से निपटने के लिए किसी अभिनव विचार का संक्षेप में उल्लेख करें जिसे अन्य स्थानीय निकायों द्वारा अपनाया जा सके	इस सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों को भलिमोति प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए इस प्रशिक्षण में व्यवहारिक प्रशिक्षण भी सम्मिलित होना चाहिए तथा निकायों में पदों के सापेक्ष पूर्ण अधिकारी/कर्मचारी हों यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

1/11/17

[Signature]
नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम



[Signature]
RICHHA SENAPATI

(नियम 17(1), देखें)

स्थानीय निकाय को प्लास्टिक प्रसंस्करण या पुनः चक्रण सुविधा के प्रचालनकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र

रिपोर्टिंग की अवधि:- 2023-24

1.	सुविधा के प्रचालकर्ता का नाम और पता	वर्तमान में नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम में प्लास्टिक प्रसंस्करण या पुनः चक्रण सुविधा उपलब्ध नहीं है।
2.	सुविधा के प्रभारी अधिकारी का नाम (दूरभाष/फैक्स/मोबाईल/ई-मेल)	-
3.	क्षमता:	-
4.	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु प्रयुक्त प्रौद्योगिकियाँ:	-
5.	प्रस्तुत रिपोर्ट के वर्ष के दौरान प्राप्त प्लास्टिक अपशिष्ट की प्रमात्रा तथा उसका स्रोत	-
6.	प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की प्रमात्रा (टनों में): -पुनर्चक्रित प्लास्टिक अपशिष्ट की प्रमात्रा (टन में) -प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट (टन में) -उपयोग में लाया गया (टन में)	-
7.	खत्ता स्थलों में अंतिम निपटान हेतु भेजे गए बेकार/अस्वीकृत अपशिष्टों की प्रमात्रा:	-
8.	उस खत्ता सुविधा का ब्यौरा जहाँ बेकार/अस्वीकृत अपशिष्टों को अंतिम निपटान हेतु भेजा गया है: पता दूरभाष	-
9.	सहमति प्रदान करने या पंजीकरण के दौरान यदि कोई पर्यावरणीय शर्त विनिर्दिष्ट की गई हो तो उसके अनुपालन की स्थिति सलंगन करें।	-

तारीख:- 07.09.2024

स्थान- हल्द्वानी।

1/11/24

[Signature]
नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम



[Signature]
RICHHA SIMUJH

(नियम 17(2), देखें)
स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सम्बन्धी
वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि:

1.	शहर/नगर और राज्य का नाम	हल्द्वानी-काठगोदाम
2.	जनसंख्या	280604
3.	वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र	42.59 वर्गकि०मी०
4.	स्थानीय निकाय का नाम और पता टेलीफोन सं० फैक्स सं० ई-मेल-	नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम, नैनीताल रोड हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखण्ड पिन-263139 05946-220035 05946-221512 Haldwaninagarnigam@gmail.com
5.	क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्र में वार्डों की कुल संख्या	60
6.	क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्र में घरों की कुल संख्या	53962
7.	घर-घर जाकर किए गए एकत्र करने में शामिल घरों की संख्या	53962
8.	क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्र वाणिज्यिक संस्थाओं और संस्थानों की कुल संख्या -वाणिज्यिक संस्थाएँ -संस्थान	6939
9.	प्रत्येक संस्थान/संस्थान में जाकर एकत्र करने के लिए सम्मिलित वाणिज्यिक संस्थाओं और संस्थानों की संख्या -वाणिज्यिक संस्थाएँ -संस्थान	6939
10.	घर-घर जाकर एकत्रण में शामिल एजेंसियों के ब्यौरे सहित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु तैयार किए गए तंत्रों का सारांश	-
11.	क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्र में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु तैयार की गई अवसरचर्चा का ब्यौरा सलग्न करें।	-
12.	अपेक्षित अवसरचर्चा, यदि कोई हो, के औचित्य सहित उसका ब्यौरा सलग्न करें।	-

1. 11/11



(Signature)

RICHA SENGM

13	क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वर्ष के दौरान उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	3942 मी0टन
14	क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्र से वर्ष के दौरान एकत्रित किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	3942 मी0टन
15	वर्ष के दौरान पुनर्चक्रण हेतु भेजे गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	शून्य
16	वर्ष के दौरान उपयोग हेतु भेजे गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा(टन में)	शून्य
	वर्ष के दौरान भू-भराव स्थलों को भेजे गए बेकार/अस्वीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	शून्य
	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान हेतु प्रयुक्त प्रत्येक सुविधा का ब्यौरा सुविधा-1 प्रचालक का नाम- टेलीफोन नम्बर/मोबाईल नम्बर सहित पता क्षमता प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पंजीकरण संख्या पंजीकरण की वैधता (तक) सुविधा-2 प्रचालक का नाम टेलीफोन नम्बर/मोबाईल नम्बर सहित पता क्षमता प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पंजीकरण संख्या पंजीकरण की वैधता (तक)	वर्तमान में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान हेतु नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।
	ब्यौरा दें: गली की सफाई, अपशिष्ट के द्वितीयक भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सहित एकत्रण हेतु तैनात की गई स्थानीय निकायों की निजी जनशक्ति।	शून्य
	ब्यौरा दें: गली की सफाई, अपशिष्ट के द्वितीयक भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सहित एकत्रण हेतु तैनात की गई ठेकेदार/ग्रहियों की जनशक्ति।	शून्य
	वित्तीय बाध्यताओं, सहित इन नियमों के उपबंधों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाईयों, यदि कोई हों, का उल्लेख करें।	-
	क्या शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों में सुधार	हाँ



[Handwritten Signature]


21
RICHHA SINGH

करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है?
यदि हो तो (प्रति सालगन करें)
संशोधन की तारीख:

वर्तमान में नगर से एकत्रित कूड़ा वन विभाग से लीज पर नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम को प्राप्त 4 हे० वन भूमि पर डाला जा रहा है तथा कूड़ा निस्तारण हेतु एन.टी.पी.सी. विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा एस. डब्लू.एम्. प्लांट / Development of Municipal Solid Waste to Torrefied Charcoal Plant Facility(Capacity-500 TPD) स्थापित किये जाने हेतु Memorandum of Understanding (M.O.U.) नगर निगम हल्द्वानी - काठगोदाम तथा एन.टी.पी.सी. विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड के मध्य किया गया है। इसके अतिरिक्त नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम की पुरानी डंप साईट / वन भूमि (जो कि अब उपयोग में नहीं है) पर एकत्रित लीगेसी वेस्ट निस्तारण करवाए जाने हेतु आर .एफ. पी तैयार करवाई गई है। जिससे सम्बंधित निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु प्रक्रिया गतिमान है।

तारीख: 07.09.2024
स्थान- हल्द्वानी

1/11/24


नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम




RICHIA SINHA



कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम

नैनीताल रोड, हल्द्वानी पिन कोड- 263139

(www.Nagarnigamhaldwani.in)toll free no- 8882610000

E-Mail- haldwaninagarnigam@gmail.com दूरभाष- 05946-220035



पत्रांक- 568

दिनांक 06/06/2025

सेवा में,

सचिव,
जिला विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

विषय - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15 के अंतर्गत किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या मार्केट काम्प्लेक्स की निर्माण योजना के अनुमोदन से पूर्व सुनिश्चित करने की भवन योजना में पृथक किये गए अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण और भण्डारण के लिए अपशिष्ट संग्रहण केंद्र स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि नगर निगम हल्द्वानी - काठगोदाम सीमान्तर्गत किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या मार्केट काम्प्लेक्स के निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृति से पूर्व नक्शे में अपशिष्ट संग्रहण केंद्र को भी सम्मिलित किया जाना अनिवार्य करने का कष्ट करेंगे।

भवदीय

[Handwritten Signature]

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम



[Handwritten Signature]
RICHHA SINOH



नगाताल राड, हल्द्वानी पिन कोड - 263139

www.Nagarnigamhaldwani.in toll free No.-8882610000

E-mail : haldwaninagarnigam@gmail.com दूरभाष : 05946-220035

पत्रांक :-

चालान

दिनांक 15/11/2016

चालान बुक संख्या : 41

क्र.सं. 31

श्री. उत्तराखण्ड (उ०प्र०) नगर निगम अधिनियम 1959

.....

.....

आप अवगत है कि जन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा निस्तारण करना, थूकना, डोर टू डोर वाहन में कूड़ा ना देना, नालियों को गन्दा करना, प्रतिबन्धित प्लास्टिक का उत्पादन उपयोग, भण्डारण, परिवहन करना, खुले में सीवर छोड़ना, सार्वजनिक सम्पत्ति पर अतिक्रमण करना आदि प्रतिबन्धित है। उक्त के दृष्टिगत निम्न विधिक प्राविधान नगर निगम में लागू है-

1. उत्तराखण्ड (उ०प्र०) नगर निगम अधिनियम 1959
2. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016
3. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016
4. कूड़ा फेंकना एवं थूकना विधेयक, 2016 अधिसूचना संख्या 347 /XXXvi 93)/2016/53(I) 1 /2016 दिनांक 30 नवम्बर 2016
5. मा० उच्च न्यायालय, मा० हरित प्राधिकरण एवं मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेश
6. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट अधिनियम 2016

उपरोक्त के आलोक में आपके द्वारा निम्न घटना धारित की गयी हैं।

1. डोर टू डोर वाहन को कूड़ा नहीं दिया जा रहा है।
2. डोर टू डोर वाहन का मासिक शुल्क नहीं दिया जा रहा है।
3. आपके द्वारा घर के सामने / बगल में / नालियों में सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंका गया है।
4. सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंका गया / जलाया गया है।
5. प्रतिबन्धित प्लास्टिक का उपयोग / भण्डारण / परिवहन / उत्पादन का कृत्य धारित किया गया है। आपके प्रतिष्ठान से लगभग कि०ग्रा० मात्रा में प्रतिबन्धित प्लास्टिक जब्त भी किया गया है।
6. आपके द्वारा सार्वजनिक नाली / सड़क / स्थान पर गन्दा पानी सीवर डाला गया है।
7. आपके द्वारा सार्वजनिक स्थान / सड़क पर निर्माण सामग्री जमा की गयी है।
8. आपके द्वारा सार्वजनिक स्थान / सड़क पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सी.एन.डी. वेस्ट जमा की गयी है या निस्तारित की गयी है।
9. अन्य कृत्य



(कृत्य का विवरण लिखें।)

उपरोक्त कृत्य के दृष्टिगत दोषी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कुल रु. 5000/- की धनराशि का प्रशमन शुल्क अधिरोपित किया जाता है। दोषी को शमन 07 दिवस के अन्दर नगर निगम कार्यालय में चालान का शमन कम्पाउन्ड करा ले अन्यथा निर्धारित अवधि के उपरान्त दोषी को दण्डित कराये जाने हेतु विधिक कार्यवाही की जायेगी।

70400
5000
75400

BHAGAN KALMS

सक्षम प्राधिकारी
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम

RICHA SENOH

16



NOTARY
 D. S. BISHT
 Notary Haldwani
 Distt. Nainita, India
 R. No 28 (10)/2005
 UTTARAKHAND (INDIA)

Annexure No A-18

RECHA SIMON

83



ROTARY CLUB OF
 D. S. BISHT
 Naryu, Haldwani
 Distt. Nainita, India
 R. No 25 110/2000
 GUJARATI KHANAD (INDIA)

RICHA SINGH

84



NOTARY
 D. S. BISHT
 Notary Haldwani
 Distt. Nainita India
 R. No. 13 (10)/2006
 GOVT. OF UTTARAKHAND INDIA


Annexure No. A-19

RICHA SINHA

85

Haldwani, Uttarakhand, India

6g2j+5jh, Badi Rd, Indira Nagar, Haldwani, Uttarakhand 263139,
 India
 Lat 29.199918° Long 79.534176°
 17/06/2025 02:10 PM GMT +05:30



Google



531



NOTARY
 D. S. BISHT
 Notary Haldwani
 Distt. Nainita, India
 R. No 29 (10)/2008
 STATE OF UTTARAKHAND (INDIA)

12/

RICHA SINOH

26



GPS Map Camera

Check In

Haldwani, Uttarakhand,
India

6g2j+5jh, Badi Rd, Indira Nagar,

Haldwani, Uttarakhand 263139, India

Lat 29.199864° Long 79.534142°

18/06/2025 09:03 AM GMT +05:30

Google





GPS Map Camera

Check In

Haldwani, Uttarakhand,

India


6g2j+5jh, Badi Rd, Indira Nagar,

Haldwani, Uttarakhand 263139, India

Lat 29.199864° Long 79.534142°


18/06/2025 09:04 AM GMT +05:30

Google



RICHA SINGH

(87)



NOTARY
D. S. BISHT
Notary Haldwani
Distt. Nainita, India
R. No. 28 (10/2008)
UTTARAKHAND (INDIA)

RV
RICHA SINGH



NOTARY
B. S. BISHT
Notary Haldwani
Distt. Nainital (India)
R. No. 89 (10)/2008
OF UTTARAKHAND (INDIA)
B/S


RICHHA SINUH